



सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं डी.आई.पी.ए.एम.)
के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा)
की 57वीं रिपोर्ट (2018-19) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन
की स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल
द्वारा राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

**STATEMENT BY SHRI PIYUSH GOYAL, MINISTER OF FINANCE, IN THE RAJYA SABHA
REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS OF
57TH REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2018-19),
(16TH LOK SABHA) RELATING TO MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENTS OF
ECONOMIC AFFAIRS, EXPENDITURE, FINANCIAL SERVICES AND DIPAM)**

अगस्त, 2018
August, 2018

अनुक्रमणिका		INDEX	
क्रम संख्या	विषय-सूची	Sl No.	Page No.
1.	श्री पीयुष गोयल, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	1. Statement by Shri Piyush Goyal, Minister of Finance	i-ii
2.	अनुबंध - दिनांक 9 मार्च, 2018 को लोक सभा में रखी गई/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं डी.आई.पी.ए.एम.) की 2018-19 की अनुदान मांगों के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 57वीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।	2. Annexure- Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 57th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants 2018-19 of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and DIPAM) presented to the Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 9 th March, 2018.	33-68

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं डी.आई.पी.ए.एम.) संबंधी अनुदान की मांगों (2018-19) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 57वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

मैं, राज्य सभा बुलेटिन, भाग-II दिनांक 28 सितंबर, 2004 के जरिए माननीय अध्यक्ष, राज्य सभा के निर्देश 32 के अनुसरण में आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं डी.आई.पी.ए.एम. विषयक वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 57वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देना अपना सौभाग्य मानता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की 57वीं रिपोर्ट 9 मार्च, 2018 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई। 57वीं रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों (2018-19) की जांच से संबन्धित है। इस रिपोर्ट में समिति ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और बजटीय आवंटन, निधियों के कम उपयोग, बजटीय आवंटन में वित्तीय अनुशासन, परिणाम बजट, केंद्रीय प्रायोगिक स्कीमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बजटीय सहायता, बैंकों के पुनः पूंजीकरण, धोखा-धड़ी कम करने के उपाय आदि, विनिवेश, 115

STATEMENT BY SHRI PIYUSH GOYAL,
MINISTER OF FINANCE, IN THE RAJYA SABHA
REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE 57th REPORT OF
THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (16TH LOK SABHA)
ON DEMANDS FOR GRANTS (2018-19) RELATING TO THE
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENTS OF ECONOMIC
AFFAIRS, EXPENDITURE, FINANCIAL SERVICES & DIPAM)

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the **57th Report of the Standing Committee on Finance (16th Lok Sabha)** relating to Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and DIPAM in pursuance of Direction 32 of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha vide Rajya Sabha Bulletin, Part II dated 28th September 2004.

The 57th Report of the Standing Committee on Finance (16th Lok Sabha) relating to examination of Demands for Grants (2018-19) of Ministry of Finance was laid on 9th March, 2018 in Rajya Sabha. In their Report, the Committee deliberated on various issues and Fifteen (15) recommendations pertaining to Budgetary allocation, under-utilisation of funds, financial discipline in allocation of Budget, Outcome Budget, Central Budgetary support,

पिछड़े जिलों के विकास और एसएजीवाई, केंद्रीय सड़क निधि, व्यापारिक सेवा मूल्य सूचकांक, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में खुदरा भागीदारी से संबंधित, 15 सिफारिशें दी हैं।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे। समिति द्वारा 57वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

mobilisation of resources etc. in Flagship Schemes, PSBs, recapitalization of banks, measures to minimize frauds etc., disinvestment, development of 115 backward districts and SAGY, Central Road Fund, Business Service Price Index, retail participation in Primary and Secondary market have been made.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report had been sent to the Standing Committee on Finance. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 57th Report is indicated in **Annexure**.

I would further not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure and request that this may please be taken as read.

वित्त संबंधी स्थायी समिति की 57वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों / टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)															
1	2	3	4	5	6															
1.	01	समिति नोट करती है कि मुख्य शीर्ष (एमएच) 2235 (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) मांग संख्या 29 (आर्थिक मामले विभाग) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के लिए 1607.02 करोड़ रुपए के बजट आबंटन की तुलना में वास्तविक व्यय 1107.00 करोड़ रुपए था; 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः 8.53 करोड़ रुपए और 0.3 करोड़ रुपए के बजट आबंटन की तुलना में शून्य व्यय रहा। एमएच:3465 (सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं) मांग सं. 29 (आर्थिक मामले विभाग) में वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए बजट अनुमान आबंटन क्रमशः 4000.00 करोड़ रुपए और 1200.00 करोड़ रुपए की तुलना में वास्तविक व्यय क्रमशः 15.00 करोड़ रुपए और 17.36 करोड़ रुपए था जो 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमशः 3985.00 करोड़ रुपए और 1182.64 करोड़ रुपए का अल्प-उपयोग दर्शाता है। मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण वास्तव में उपर्युक्त मामलों में बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच इस भारी अंतर को स्पष्ट नहीं करते अथवा उसका औचित्य सिद्ध नहीं करते। यद्यपि समिति इस बात से सहमत है कि कभी-कभी बजट अनुमानों (बीई) और वास्तविक व्यय के बीच थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है लेकिन समिति करोड़ों रुपए के परिव्यय की तुलना में शून्य व्यय अथवा 4000.00 करोड़ रुपए की तुलना में 15.00 करोड़ रुपए के व्यय (3985.00 करोड़ रुपए की कमी) को समझने में असमर्थ है जिसके बारे में समिति का मानना है कि वह किसी भी वित्तीय नियम अथवा व्यवहार के दायरे से बाहर है। समिति का मत है कि बजट बनाते समय उचित सोच-विचार, गंभीरता और समझदारी से ऐसे अल्प-उपयोग से आसानी से बचा जा सकता था। अतः, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का नोडल मंत्रालय होने के नाते, समिति उम्मीद करती है कि मंत्रालय भविष्य में बजटीय आबंटन करते समय प्रारंभिक वित्तीय नियमों का पालन करेगा और वित्तीय विवेक बनाए रखेगा।	(बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग) मुख्य शीर्ष: 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क और संरक्षित बचत योजना) <table><thead><tr><th></th><th>बजट अनुमान</th><th>वास्तविक व्यय</th></tr></thead><tbody><tr><td>2014-15</td><td>1607.02</td><td>1107.00</td></tr><tr><td>2015-16</td><td>2607.02</td><td>-</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>8.53</td><td>-</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>0.03</td><td>-</td></tr></tbody></table> 1. आरंभ में, यह प्रस्तुत किया गया है कि जिन मदों में बचत दर्शाई गई है, वे मदें 'लोक लेखा निधि को अंतरण' के लेनदेन से संबंधित हैं। इस संबंध में, दो मुख्य सिद्धांत दर्शाए गए हैं: (क) सरकार का यह प्रयास है कि लोक लेखा में निरूपयोगी पड़े संसाधनों को न्यूनतम किया जाए। (ख) निधियां संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित की जाती हैं और 'निधि को अंतरण' से संबंधित बजट प्रावधान तथा अभिचिह्नित स्कीमों पर उपयोग की गई राशि का उल्लेख अपनी-अपनी मांगों में किया जाता है। वर्षवार व्याख्या नीचे दी गयी है: 2014-15 के दौरान, ₹1607.00 करोड़ का व.अ. प्रावधान, निधि में उपलब्ध शेष राशि तथा 2014-15 के दौरान और अधिक अंतरण की आवश्यकता न होने को ध्यान में रखते हुए सं.अ. में कटौती करके ₹1107.00 करोड़ कर दिया गया था।		बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	2014-15	1607.02	1107.00	2015-16	2607.02	-	2016-17	8.53	-	2017-18	0.03	-	स्वीकृत	-
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय																		
2014-15	1607.02	1107.00																		
2015-16	2607.02	-																		
2016-17	8.53	-																		
2017-18	0.03	-																		

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

		2015-16 के दौरान, ₹2607.00 करोड़ के बजट अनुमान प्रावधान को निधि में उपलब्ध शेष राशि तथा 2015-16 के दौरान और अधिक अंतरण की आवश्यकता न होने को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान 2015-16 में कम करके शून्य कर दिया गया है। 2016-17 के दौरान, बचत, स्कीमों के अन्य विभागों को अंतरित हो जाने तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि को (एनएसएसएफ) समाप्त करने की वजह से हुई थी। चूंकि, स्कीम का वित्तपोषण एनएसएसएफ के माध्यम से किए जाने हेतु सीधा बजट प्रावधान किया गया है, इसलिए, इस शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान केवल सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क हेतु प्रारंभिक पूंजी निवेश के लिए ₹8.50 करोड़ और संरक्षित बचत योजना के लिए ₹0.03 करोड़ रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के अंतर्गत कार्यक्रमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण तथा संरक्षित बचत योजनाओं के लिए भुगतान न किए जाने की वजह से आज तक इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय 'शून्य' है। 2017-18 के दौरान, ₹0.03 करोड़ का ब.अ. प्रावधान, निधि में उपलब्ध शेष राशि तथा 2017-18 के दौरान और अधिक अंतरण की आवश्यकता न होने को ध्यान में रखते हुए सं.अ. में कटौती करके ₹0.02 करोड़ किया गया। मुख्य शीर्ष: 3465 - सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थान (एमडीआर प्रभागों और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि लिमिटेड की प्रतिपूर्ति) <table><tr><td></td><td>बजट अनुमान</td><td>वास्तविक अनुमान</td><td>बचत</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>4000.00</td><td>15.00</td><td>3985.00</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>1200.00</td><td>17.36</td><td>1182.64</td></tr></table> ← → एमडीआर(200) एनआईआईएफ (1000) नागरिकों द्वारा किए गए डेबिट कार्ड का उपयोग करके सरकारी भुगतान (कर, गैर कर और अन्य भुगतानों पर लागू) पर व्यापारिक छूट दर (एमडीआर) प्रभागों की प्रतिपूर्ति हेतु एजेंसी बैंकों के दावों को निपटाने के लिए एकमुश्त प्रावधान उपलब्ध कराया गया था। इस तरह का		बजट अनुमान	वास्तविक अनुमान	बचत	2016-17	4000.00	15.00	3985.00	2017-18	1200.00	17.36	1182.64		
	बजट अनुमान	वास्तविक अनुमान	बचत													
2016-17	4000.00	15.00	3985.00													
2017-18	1200.00	17.36	1182.64													

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

		पहला दावा 2017-18 की पहली तिमाही में शुरुआत में ही देय हो गया और तदनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान किया गया, तथापि सरकार के लेख से भुगतान के लिए ऐसा कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। (निवेश प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग) यह विभाग समिति द्वारा की गई टीका-टिप्पणी से सहमत है। तथापि, निधियों के अल्प उपयोग के कारण निम्नलिखित हैं: ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक पूंजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगस्त, 2015 में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ("एनआईआईएफ") की स्थापना की गई थी। एनआईआईएफ संचालन के प्रथम चरणों में विशेषज्ञों की अच्छी टीम की भर्ती करना, इसकी अभिशासन संरचनाओं की स्थापना करना और निवेश करने के पूर्व गैर-सरकारी निवेशकों से पूंजी जुटाना शामिल था। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, विभिन्न निवेशकों जैसे कि सॉवरेन संपदा निधियों और अंतर्राष्ट्रीय पेंशन निधियों के साथ विचार-विमर्श आरंभिक स्तर पर थे और उक्त वित्त वर्ष के दौरान कोई निवेश करार नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप आवंटित निधियों का अल्प उपयोग हुआ। सुधारात्मक उपाय किए गए और वित्त वर्ष 2017-18 में बजट अनुमान घटाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया ताकि कुछ प्रमुख निवेशकों से अनुमानित पूंजी जुटाना और एनआईआईएफ के लिए समुचित निवेश अवसरों की उपलब्धता के आधार पर बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। (मुख्य शीर्ष 3465 के तहत 1200 करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया, जिसमें से एनआईआईएफ के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और एमडीआर अदायगी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान करने हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।) यह कहना प्रासंगिक है कि एनआईआईएफ लिमिटेड ने अपना पहला निधि जुटाने वाला करार एडीआई की पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी और छह घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) के साथ अक्तूबर, 2017 में किया था। चूंकि एनआईआईएफ ने अपनी टीम, अभिशासन संरचना और निवेश नीतियां तैयार कर ली हैं, अतः एनआईआईएफ में निवेश करने के लिए कई प्रमुख निवेशकों के साथ वार्ताएं अब अंतिम स्तर पर हैं। एनआईआईएफ ने पत्तन और संभार तंत्र क्षेत्र में निवेश करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी का सृजन करने हेतु डीपी वर्ल्ड के साथ भागीदारी करके अपना प्रथम निवेश किया। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 342.73 करोड़ रुपए की निधि का उपयोग किया गया। यह भी ध्यातव्य हो कि अपने निवेशों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एनआईआईएफ अपने निवेशों के सटीक समय का पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ है और इसे	स्वीकृत	-
--	--	--	---------	---

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			अपनी निवेश नीति के समय के साथ-साथ अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अतः, जहां यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मांग को पूरा करने के लिए एनआईआईएफ के लिए पर्याप्त निधियों का आवंटन हो, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि एनआईआईएफ को आवंटन के उपयोग के समय के संबंध में नम्यता प्रदान की जाए ताकि एनआईआईएफ यह सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके कि इसका वाणिज्यिक व्यवहार्यता का प्राथमिक उद्देश्य सर्वोपरि है। तथापि, भविष्य में एनआईआईएफ के लिए निधियों हेतु मांग का अनुरोध करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी।												
2.	02	समिति यह भी पाती है कि यह नोट करना प्रासंगिक है कि एमएच: 5475, मांग संख्या 29 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं संबंधी पूंजी परिव्यय (व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण) के अंतर्गत बजट का त्रुटिपूर्ण आबंटन किया गया। 2015-16 में 252.00 करोड़ रुपए के आबंटन/अनुमान की तुलना में 623.50 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया; 2016-17 में 252.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की तुलना में 132.66 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया; और 2017-18 में बजट अनुमान स्तर पर किए 3102.00 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में केवल 49.41 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया। समिति नोट करती है कि 2015-16 में वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से दोगुना से भी अधिक रहा जबकि 2017-18 में एमएच 5475 के अंतर्गत उपयोग में 3052.59 करोड़ रुपए की कमी थी। पुनः, एमएच: 2250 - मांग सं. 29- अन्य सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, 2016-17 में 389.16 करोड़ रुपए और 2017-18 में 64.43 करोड़ रुपए खर्च किए गए जबकि दोनों वित्त वर्षों में इस शीर्ष के अंतर्गत बजट आबंटन शून्य था। समिति यह देखकर चिंतित है कि वित्त मंत्रालय, जो समूची सरकार के लिए बजट तैयार करने और आबंटन करने के लिए नोडल मंत्रालय है, ने शायद लेखों के उपर्युक्त मुख्य शीर्षों के आबंटन करते समय वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया। समिति उम्मीद करती है कि वित्त मंत्रालय समस्त रूप में अपनी बजटीय प्रक्रिया में ऐसे त्रुटिपूर्ण आबंटन से बचेगा। इसके अलावा, समिति पाती है कि सरकार की कुछ अग्रणी स्कीमों यथा स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा आदि के लिए बजट में ठीक प्रकार से निधियां नहीं दी गई हैं जिससे ये	(आईपीएफ प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग) 1. इस संदर्भ में यह देखा गया है कि: i. सिफारिश संख्या 2 में कहा गया है कि वर्ष 2015-16 में 252 करोड़ रुपये के आबंटन/अनुमान के मुकाबले 623.50 करोड़ रुपये उपयोग किए गए। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष 5475 के अंतर्गत वीजीएफ के संबंध में 412.50 करोड़ रुपये बजट अनुमान लगाया गया था जिसे संशोधित अनुमान अवस्था में बढ़ाकर 1043.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था। ii. मुख्य शीर्ष 5475 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वास्तविक व्यय 56.32 करोड़ रुपये है जिसे सिफारिश में 49.41 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। 2. मुख्य शीर्ष 5475 के अंतर्गत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए वीजीएफ और आईआईपीडीएफ का ब्यौरा निम्नलिखित है : <table><tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>बजट अनुमान</th><th>संशोधित अनुमान</th><th>वास्तविक व्यय</th><th>बचतें (बजट अनुमान- वास्तविक व्यय)</th></tr><tr><td>2015-16</td><td>412.50 करोड़ रुपये</td><td>1043.50 करोड़ रुपये</td><td>1043.50 करोड़ रुपये (मुख्य शीर्ष 5475 के अंतर्गत 623.50 करोड़ रुपये तथा मुख्य शीर्ष</td><td>(-) 631 करोड़ (संशोधित अनुमान 1043.50 करोड़ रुपये - बजट अनुमान 412.50 करोड़ रुपये)।</td></tr></table>	वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचतें (बजट अनुमान- वास्तविक व्यय)	2015-16	412.50 करोड़ रुपये	1043.50 करोड़ रुपये	1043.50 करोड़ रुपये (मुख्य शीर्ष 5475 के अंतर्गत 623.50 करोड़ रुपये तथा मुख्य शीर्ष	(-) 631 करोड़ (संशोधित अनुमान 1043.50 करोड़ रुपये - बजट अनुमान 412.50 करोड़ रुपये)।	कालम 6 में दी गई अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई है।	सिफारिश में कुछ आंकड़े गलत प्रतीत होते हैं। जैसे वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान (252 करोड़ रुपये) और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक व्यय (49.41 करोड़ रुपये) वित्तीय वर्ष 2015-16 में वीजीएफ योजना के लिए मुख्य शीर्ष 5475 के अंतर्गत 412.50 करोड़ रुपये का बजट अनुमान आवंटित किया गया था, जिसे संशोधित अनुमान अवस्था में बढ़ाकर 1043.50 करोड़
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचतें (बजट अनुमान- वास्तविक व्यय)											
2015-16	412.50 करोड़ रुपये	1043.50 करोड़ रुपये	1043.50 करोड़ रुपये (मुख्य शीर्ष 5475 के अंतर्गत 623.50 करोड़ रुपये तथा मुख्य शीर्ष	(-) 631 करोड़ (संशोधित अनुमान 1043.50 करोड़ रुपये - बजट अनुमान 412.50 करोड़ रुपये)।											

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

सुविचारित स्कीमें उपेक्षित हो सकती हैं। अतः, समिति सिफारिश करती है कि इस अग्रणी स्कीमों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए और इन्हें व्यवस्थाबद्ध ढंग से बढ़ावा दिया जाए और जोर-शोर से कार्यान्वित किया जाए ताकि वांछित लक्ष्यों की पूर्ण रूप प्राप्ति हो सके और ये तदर्थ अथवा खंडवार प्रक्रिया न बन जाएं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यह घोषणा है कि बेंगलूर में उपनगरीय रेल प्रणाली पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन समिति पाती है कि बजट में केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए नाममात्र का प्रावधान किया गया है। यह स्थिति केवल इस स्कीम की ही नहीं है बल्कि अन्य बहुत सारी स्कीमों की भी है जिनकी बजट में घोषणा की जाती है। यदि राज्य सरकार वित्त पोषण में शामिल है तो बजट में उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। समिति क्रमिक बजटों में घोषित ऐसी सभी मुख्य परियोजनाओं/स्कीमों की स्थिति से अवगत होना चाहती है। संभव है कि केन्द्रीय बजटीय सहायता के अभाव में राज्य पीछे रह जाएं और वे कोई पहल ही न करें। अतः समिति सरकार से आग्रह करती है कि जब भी ऐसी अग्रणी स्कीमें घोषित की जाएं, उनके लिए समतुल्य/संगत बजटीय आवंटन किया जाए।

			3475 के अंतर्गत 420 करोड़ रुपये)	
2016-17	250 करोड़ रुपये	200 करोड़ रुपये	132.26 करोड़ रुपये	117.74 करोड़ रुपये
2017-18	100 करोड़ रुपये	56.32 करोड़ रुपये	56.32 करोड़ रुपये	43.68 करोड़ रुपये

मुख्य शीर्ष 5475 के अंतर्गत भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचतें (बजट अनुमान - वास्तविक व्यय)
2015-16	2 करोड़ रुपये	2 करोड़ रुपये	शून्य	2 करोड़ रुपये
2016-17	2 करोड़ रुपये	2 करोड़ रुपये	शून्य	2 करोड़ रुपये
2017-18	2 करोड़ रुपये	2 करोड़ रुपये	शून्य	2 करोड़ रुपये

3. यह भी नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 3102 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 100 करोड़ रुपये की राशि अवसंरचना विकास निधि (वीजीएफ) की सहायता से संबंधित है। तथा 2 करोड़ रुपये आईआईपीडीएफ से संबंधित है। 3000 करोड़ रुपये की शेष राशि न तो वीजीएफ से और न ही आईआईपीडीएफ से संबंधित है। इसके अलावा , अनुशंसा में मुख्य शीर्ष 2250 का उल्लेख किया गया है। वीजीएफ अथवा आईआईपीडीएफ के संबंध में कोई भी व्यय मुख्य शीर्ष 2250 के अंतर्गत दर्ज नहीं किया गया है।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में,अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण के लिए 412.50 करोड़ रुपये का बजट अनुमान किया गया था जो कि संशोधित अनुमान (आरई) अवस्था में बढ़ाकर 1043.50 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस वर्ष के दौरान बजट अनुमान में

रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 5475 के अंतर्गत वास्तविक व्यय 56.32 करोड़ रुपये रहा है, न कि 49.41 करोड़ रुपये जैसा कि सिफारिश में कहा गया है। यह भी नोट किया जाए कि मुख्य शीर्ष 2250- मांग संख्या 29- अन्य सामाजिक सेवाएं वीजीएफ या आईआईपीडीएफ पर लागू नहीं है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मुख्य शीर्ष 5475 के अंतर्गत 3102.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के आवंटन के मुकाबले वीजीएफ योजना (केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं) और आईआईपीडीएफ के लिए 102

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			पर्याप्त बढोत्तरी हैदराबाद मेट्रो रेल (एचएमआर) परियोजना (वित्तीय वर्ष 2015-16 में एचएमआर के लिए 661.23 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे) के लिए वीजीएफ अनुमानों के कारण हुई थी। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक व्यय 1043.50 करोड़ रुपए था। अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 में वीजीएफ के संबंध में कोई भी बचत नहीं थी। 5. वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 में वीजीएफ की बचत के संबंध में, यह नोट किया जाए कि परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान प्रत्याशित वित्त प्रवाह को ध्यान में रखते हुए वीजीएफ के प्रत्याशित संवितरण के लिए बजट अनुमानों को परियोजना को 'सैद्धांतिक' और 'अंतिम अनुमोदन' प्रदान करने के आधार पर किया जाता है। सभी प्रायोजक प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे अनुमानित आहरण अनुसूची को भेजें। तथापि, योजना के अंतर्गत वीजीएफ केवल तभी संवितरित किया जाएगा जबकि रियायतग्राही परियोजना के लिए पूर्ण इक्विटी अंशदान का विस्तार कर दे। इसके पश्चात अग्रणी वित्तीय संस्थान द्वारा संवितरित ऋण के समानुपात में वीजीएफ जारी किया जाता है। इसलिए, वीजीएफ के वास्तविक आहरण का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बजट अनुमानों का निरूपण करते समय, यह ध्यान में रखा जाता है कि अवसंरचना परियोजना का कार्यान्वयन निधि की कमी की वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आईआईपीडीएफ के अंतर्गत बचत के संबंध में, यह नोट किया जाए कि प्रायोजक प्राधिकारियों को आईआईपीडीएफ से सहायता हस्ताक्षरित निधि समझौते के अनुसरण में जारी की जाती है। विगत 3 वित्तीय वर्षों में बचत का कारण प्रायोजक प्राधिकारियों से आवेदनों की प्राप्ति न होना था। (बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग) (क) चल रही योजनाओं सहित, अलग-अलग विभागों में कार्यक्रमों/स्कीमों का निधियन करने के लिए वर्ष 2017-18 में ₹3000 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया था। यह माना जाता है कि इस एकमुश्त प्रावधान के पीछे विचार यह था कि महत्वपूर्ण प्रमुख स्कीमों के लिए, यदि आवश्यकता हुई, तो इस एकमुश्त प्रावधान में अतिरिक्त मांगों को शामिल किया जाएगा। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ब.अ. 2017-18 में प्रदत्त ₹2146735 करोड़ की तुलना में, संशोधित अनुमान 2017-18 में सरकार का व्यय ₹2217750 करोड़ नियत किया गया है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष के दौरान	स्वीकृत	करोड़ रुपये ही लागू हैं जिसमें से 56.32 करोड़ रुपये संवितरित किए गए थे। शेष राशि की बचतें प्रायोजक प्राधिकारियों से कम अनुरोध प्राप्त होने के कारण हुई हैं। विस्तृत व्यौरा कालम 4 के पैरा 3 से 6 के अंतर्गत देखा जा सकता है।
--	--	--	--	---------	--

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			इसके लिए ₹71015 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता हुई। (ख) चालू वित्त वर्ष में अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से किए गए कुछ अतिरिक्त व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं (i) प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र द्वारका (₹500 करोड़); (ii) राज्य सरकार को विभेदक रॉयल्टी का भुगतान (₹6960.42 करोड़); (iii) सहज बिजली हर घर योजना (ग्रामीण) - सौभाग्य (₹1550 करोड़) आदि। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह मान लिया गया है कि आर्थिक कार्य विभाग की अनुदान मांगों में दी गई ₹3000 करोड़ की राशि का उपयोग इन स्कीमों पर कर लिया गया है। प्रस्तुत है कि वित्त मंत्रालय का सदैव यह प्रयास रहता है कि अनुदान की वास्तविक आवश्यकता, अवशोषण क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाए। माननीय समिति की टिप्पणियां अनुपालनार्थ नोट कर ली गई हैं। प्रयास किया जाएगा कि बजटीय प्रावधानों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। जहां तक एनएस अनुभाग (बजट प्रभाग), आर्थिक कार्य विभाग का सम्बन्ध है; टिप्पणियों/सिफारिशों के पैरा २ में उल्लिखित एमएच:2250 - मांग संख्या 29 - अन्य सामाजिक सेवाओं, से अपेक्षित इनपुट निम्नानुसार है : वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एमसीडब्ल्यूएफ़) की स्थापना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के संवर्धन के अधिदेश से की गयी थी। वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के प्रशासन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। जब कभी नोडल मंत्रालय मांग करता है तो निधि का आवंटन एमसीडब्ल्यूएफ़ के लिए किया जाता है। तदनुसार, 2016-17 में ₹389.16 करोड़ और 2017-18 में ₹64.43 करोड़ एमसीडब्ल्यूएफ़ में अंतरित किया गया था। नागरिकों के लिए कल्याण स्कीम के कार्यान्वयन हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार बजटीय आवंटन किया गया था। (व्यय विभाग) रेलवे के वर्क्स, मशीनरी और रोलिंग स्टॉक कार्यक्रम, 2018-19 में "बेंगलुरु उपनगर-पटरी क्षमता में वृद्धि के लिए एलिवेटिड/एट ग्रेड कॉरिडोर का निर्माण" नामक कार्य एक करोड़ रुपए के सांकेतिक परिव्यय के साथ इस शर्त पर शामिल किया गया है कि उचित प्रक्रियाओं के पालन/अनिवार्य अनुमोदन एवं संस्वीकृतियों के बाद ही इस परियोजना पर कार्य किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 17,000 करोड़ रुपए है जिसमें से रेल मंत्रालय	स्वीकृत	निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार परियोजना के मूल्यांकन एवं अनुमोदन के
--	--	--	--	---------	---

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			और कर्नाटक सरकार 6030.55 - 6030.55 करोड़ रुपए वहन करेंगे और 5000 करोड़ रुपए अचल संपत्ति के विकास से जुटाए जाएंगे। उपर्युक्त कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शी संविदा मंडलीय रेलवे द्वारा प्रदान कर दी गई है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अनिवार्य अनुमोदन/संस्वीकृतियां मिलने पर, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के अंदर उचित परिव्यय उपलब्ध कराए जाएंगे।		पश्चात् पर्याप्त बजट प्रावधान किए जाते हैं।
3.	03	समिति पंजाब नेशनल बैंक में हाल ही में उजागर हुए कपट के बारे में अत्यधिक चिंतित है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ऐसे सुस्पष्ट नियमों, दिशानिर्देशों और जांचोपाय के बावजूद व्यक्तियों का एक छोटा-सा समूह इतने बड़े बैंक में हेराफेरी कर सकता है और उसे जोखिम में डाल सकता है। व्यक्ति, निकाय और कंपनी विशेष का ऋण प्राप्त करने में सहायक कथित वचन पत्र (लेटर्स आफ अंडरटेकिंग) जो मूलतः गारंटी थे, जारी किए गए थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी बैंक की किताबों में प्रविष्टि नहीं की गयी अथवा कोर बैंकिंग सिस्टम में उन्हें रिकार्ड नहीं किया गया। इससे एक बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और कपट रोकने के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा सहित नियामक जांचोपाय और आंतरिक तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों और साथ ही साथ बोर्ड में सरकारी नामितियों की विशिष्ट भूमिका पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। बैंक बोर्ड की और आरबीआई की भी नियामक पायवेक्षी भूमिका पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसे कुप्रबंधन के परिदृश्य में बैंकों के पुनर्पूँजीकरण की वर्तमान प्रक्रिया निरर्थक साबित हो सकती है। वस्तुतः, ऐसा माना जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक सहित अन्य अनेक भारतीय बैंकों की और कुछ अन्य विदेशी बैंकों की 30 अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं ने इन कथित कपटपूर्ण गारंटियों के आधार पर एक निकाय विशेष अथवा अनेक अन्य निकायों अथवा कंपनियों को ऋण दिया। यद्यपि अभिकरणों द्वारा जांच चल रही है, तथापि समिति चाहती है कि वित्तीय सेवाएं विभाग इस मामले में एक व्यापक जांच आरंभ करे जिसमें प्रत्येक स्तर पर संबन्धित पदाधिकारी की भूमिका सहित, मानवीय और व्यवस्थागत, दोनों तत्व हों और यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत होने से एक माह के अंदर समिति	(वित्तीय सेवाएं विभाग) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से यह सूचना प्राप्त होने पर कि उन्हें अपनी ब्रैडी हाउस, मुम्बई शाखा में शपथ पत्र (एलओयू)/विदेश साख पत्र (एफएलसी) जारी करने में धोखाधड़ी का पता चला है, जिसकी सूचना पीएनबी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पहले ही दे दी थी, के मामले में वित्तीय सेवाएं विभाग ने निम्नलिखित कार्रवाई की है: क. आरबीआई को पूरी बैंकिंग प्रणाली में इस प्रकार के कार्यकलापों के विस्तार का पता लगाने, आगे और गलत कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पर्यवेक्षीय कार्रवाई करने तथा लेनदारों को अपनी सम्पत्ति बेचने तथा उसे हटाने से रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समुचित सुधारात्मक/उपचारात्मक व्यवस्था करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया था। आरबीआई से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे इसका पता लगाएं कि क्या आरबीआई के अनुदेशों के पालन में किसी चूक की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उक्त चूक के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विवरण सहित उसके व्यौरे की जानकारी दें। ख. सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बैंक में ऐसे कार्यकलाप नहीं किए जा रहे हैं साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि समुचित अनुमोदन, अपेक्षित आवेदन/दस्तावेज की पुष्टि करने एवं सभी एलओयू और एसडब्ल्यूआईएफटी संदेश की प्रविष्टि बैंक प्रणाली में करने तथा ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सुदृढ़ प्रणाली तथा प्रक्रिया मौजूद है। ग. धोखाधड़ी की घटना का उत्तरदायित्व शीघ्र निर्धारित करने और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए पीएनबी को अनुरोध किया गया था। 2. पीएनबी में धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, आरबीआई ने बैंकों को	जी हां।	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

		को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करे। समिति का मानना है की बेहतर बैंकिंग हेतु इष्टतम नियमन (अति नियमन नहीं) के अलावा बेहतर रिपोर्टिंग, उचित पर्यवेक्षण और इनके साथ प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग की आवश्यकता है। समिति का यह भी मत है की बैंकों को सशक्त बनाया जाए और प्रोत्साहित किया जाए तथा एसटी और एलटी निष्पादन के साथ एक परिवर्तनीय घटक जोड़ा जाए। लेखा परीक्षा के संदर्भ में, एक बैंक के दावों का दूसरे बैंक के दावों के साथ मिलान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, भेजा गया प्रत्येक स्विफ्ट संदेश दोनों बार अर्थात् बचत पत्र (एलओयू) तैयार होने के समय और एलओयू जारी करने वाले बैंक का इसके लिए प्राप्ति और उधारी मिलने के समय, नियामक को टैग करके ऐसा आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। तथापि, समिति मंत्रालय को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और अन्य सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रयास करने हेतु आगाह करती है। निष्पादन प्रोत्साहन और बैंकों में विश्वास निर्माण के लिए संतुलन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे बैंकिंग की गुणवत्ता निर्धारित होती है। सरकार का उपभोक्ताओं और निवेशकों में विश्वास का संचार और सार्वजनिक उपक्रमों की विश्वसनीयता उत्पन्न करनी चाहिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का संदेह दूर करना चाहिए।	एसडब्ल्यूआईएफटी (स्वीफ्ट) परिचालन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कुछेक उपायों को निर्धारित समयावधि के भीतर लागू करने का अधिदेश दिया है तथा, अन्य बातों के साथ बैंकों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के कारक घटकों और इसे नियंत्रित करने एवं रोकने के लिए अपेक्षित उपाय (जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी पहल शामिल हैं) करने तथा ऐसी धोखाधड़ी को कम करने के लिए बैंकों में की जा रही विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं की भूमिका और प्रभावोत्पादकता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को अधिदेश दिया है। 3. आरबीआई के अनुदेशों को लागू करने में किसी प्रकार की चूक के दायित्व के संबंध में विभाग के अनुरोध के प्रतिउत्तर में आरबीआई ने यह सूचित किया है कि पीएनबी में हुई धोखाधड़ी में सभी तीनों प्रकार की सुरक्षा, अर्थात् समनुरूप कार्य, जिन्हें अपनाया गया, जोखिम की धारिता और प्रबंधन, जोखिम निगरानी कार्य, जो उपर्युक्त समनुरूप कार्यों के माध्यम से जोखिम का वहन करने एवं जोखिम प्रबंधन करने और दिशानिर्देश एवं सहायता प्रदान करता है तथा लेखापरीक्षा संबंधी कार्य करता है, असफल हुई है। आरबीआई ने यह सूचित किया है कि किसी भी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पीएनबी के ब्रेडी हाउस शाखा में वर्ष 2011 से प्रक्रियाओं में गंभीर विचलन एवं कमियां अंतर्निहित हैं और चूंकि पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा में इसके विविध लेखापरीक्षा तंत्र के जरिए प्रक्रियात्मक कपट तथा विचलन प्रक्रिया कभी भी अभिलेख में नहीं आ पायी, बैंक के बोर्ड के निदेशकों को इन अनियमितताओं के बारे में जानकारी नहीं थी और निदेशक इन बैठकों में विचारार्थ विभिन्न एजेंडा के माध्यम से बैंक के प्रबंधन द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी गई सूचना पर निर्भर होते हैं। आरबीआई ने यह सूचित किया है कि कुछेक धोखाधड़ी की सूचना उन्हें वर्ष 2016 में दिए जाने को देखते हुए उन्होंने विभिन्न बैंकों का पर्यवेक्षीय दौरा किया था, जिनमें एसडब्ल्यूआईएफटी अवसंरचना के प्रबंधन में बैंक की व्यवस्था पर जोर दिया गया। दौरे के निष्कर्षों के आधार पर आरबीआई ने दो परिपत्र- एक दिनांक 3.8.2016 को तथा दूसरा 25.11.2016 को जारी किया। इसके अलावा, अगस्त 2016 में सभी बैंकों को इसी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी जारी की गई थी। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 19.8.2016 के पत्र के उत्तर में पीएनबी ने दिनांक 3.8.2016 के आरबीआई के परिपत्र में दिए गए निदेश के अनुपालन की पुष्टि की थी, जो वास्तव में गलत साबित हुआ। आरबीआई के परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि धोखाधड़ी की सूचना दिए जाने के पश्चात् पीएनबी की ब्रेडी हाउस शाखा में की गई जांच से आरबीआई के अनुदेशों का पालन न किए जाने की कई घटनाओं तथा एसडब्ल्यूआईएफटी संदेश प्रणाली के चारों ओर कमजोर नियंत्रण का पता चला। आरबीआई ने निष्कर्षित: यह कहा कि बैंकों की ओर से की गई अनुपालन संबंधी चूक सुरक्षा के तीन स्तरों, लेखापरीक्षा तंत्र (आंतरिक लेखापरीक्षा और संवर्ती लेखापरीक्षा) इसके अलावा,		
--	--	--	--	--	--

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

		बैंकों के कार्यों का समुचित नियंत्रण करने में बैंक के शीर्ष प्रबंधन की असफलता का परिणाम है। इसके अलावा, शाखा, इसके नियंत्रक कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय की भी असफलता है, जिन्होंने बारी-बारी से आरबीआई को पर्यवेक्षीय चिंताओं के महत्वपूर्ण संकेतों की जानकारी नहीं दी, जिससे समय पर हस्तक्षेप करना संभव होता। 4. आरबीआई के पत्र को ध्यान में रखते हुए विभाग ने मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), पीएनबी को ब्रैडी हाउस शाख में आरबीआई के अनुदेशों के अनुपालन तथा एसडब्ल्यूआईएफटी संदेश प्रणाली से संबंधित नियंत्रण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की सलिप्तता की जांच करने का अनुरोध किया। पीएनबी ने यह सूचित किया है कि बैंक के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया था, जिसने विभिन्न कथित चूकों के लिए चूककर्ता अधिकारियों की पहचान की थी और आरोपी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी करने के लिए बैंक को सक्षम बनाने हेतु प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है ताकि उन चूकों की पहचान की जा सके जिनके संबंध में कार्रवाई की जानी है। आरबीआई के इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि बैंक का शीर्ष प्रबंधन, जो बैंक के कार्य पर समुचित नियंत्रण रखने में असफल रहा तथा पूर्णकालिक निदेशकों की पहचान पीएनबी द्वारा कर ली गई है, विभाग ने सभी सेवारत पूर्णकालिक निदेशकों चाहे वे इस समय पीएनबी में कार्यरत हों या किसी अन्य पीएसबी में, स्पष्टीकरण की मांग की है। इसके अलावा, सरकार ने पीएसबी के बोर्ड में अपने नामित निदेशकों को इन पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यात्मक दायित्व निरंतर सौंपे जाने से संबंधित चिंताओं पर समुचित विचार तथा निर्णय के लिए संबंधित बैंक के बोर्ड में उठाने की सलाह दी है। विचार-विमर्श के पश्चात् संबंधित बोर्ड अर्थात् पीएनबी के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संबंध में इलाहाबाद बैंक और दो मौजूदा कार्यपालकों के संबंध में पीएनबी ने उन्हें कार्यात्मक दायित्व नहीं सौंपे जाने का निर्णय लिया। 5. इसी बीच सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध के लिए 11 बैंक अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है। 6. सरकार के परामर्श के अनुसरण में पीएसबी ने परिचालनात्मक जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के संबंध में सामूहिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें प्रौद्योगिकीय जोखिम शामिल हैं ताकि धोखाधड़ी के होने से बचा जा सके। सीटीओ/सीआरओ के लिए आयोजित इन बैठकों में किए गए विचार-विमर्श तथा बेहतर पद्धति के आधार पर पीएसबी जोखिम प्रबंधन के लिए स्वीकार्य कुछेक न्यूनतम मानदण्डों के लिए सहमत हो गए हैं और		
--	--	--	--	--

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			इन्हें लागू करने के लिए अपनी योजनाएं तैयार करना आरंभ कर दिया है। 7. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सभी सीएमडी/एमडी तथा सीईओ को "बड़े मूल्य की बैंक धोखाधड़ी की समय पर पहचान करने इसकी सूचना देने तथा इसकी जांच करने आदि से संबंधित संरचना" के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी खातों, यदि उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो उनकी जांच इरादतन चूककर्ताओं तथा संभावित धोखाधड़ी, यदि कोई हो, के दृष्टिकोण से करने की व्यवस्था की गई है। 8. उपर्युक्त के अलावा, बैंकों में धोखाधड़ी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: (i) आर्थिक अपराधियों द्वारा भारतीय क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि प्रक्रिया से बचने से रोकने हेतु सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया है, जिसमें भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति की कुर्की और जब्ती का प्रावधान है और पीएसबी को 50 करोड़ रुपये से अधिक ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों और अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की सत्यापित प्रति प्राप्त करने का परामर्श दिया है। (ii) लेखापरीक्षा मानकों के प्रवर्तन तथा लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया है। (iii) यह स्पष्ट संदेश देने के लिए कि उधारकर्ता इरादतन चूक करने के साथ-साथ अपनी संपत्तियों का स्वामित्व नहीं बनाए रख सकते, इरादतन चूककर्ताओं और संबद्ध (कनेक्टेड) व्यक्तियों के दिवाला और शोधन अधमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। (iv) बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों का पता लगाने में सक्षम एक वेब आधारित डाटाबेस, जिसमें पिछले 13 वर्ष के आंकड़े हैं, के रूप में केंद्रीकृत धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) का शुभारंभ किया गया। इसे आरबीआई द्वारा जनवरी, 2016 में परिचालनरत किया गया है। (v) प्रौद्योगिकीय जोखिम सहित परिचालनात्मक जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार ने पीएसबी को सामूहिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है ताकि		
--	--	--	---	--	--

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			धोखाधड़ी के होने से बचा जा सके। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में पीएसबी ने भेजे जाने वाले सभी एसडब्ल्यूआईएफटी संदेशों के अनुमोदन के लिए अतिरिक्त आवरण को लागू किया है, अप्रैल के अंत तक कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ एसडब्ल्यूआईएफटी परिचालन व्यवस्था को सीधे जोड़ने का कार्य आरंभ किया गया, एसडब्ल्यूआईएफटी की समय-सीमा को सीमित किया गया और यह निर्णय लिया गया कि सीबीएस में इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण को सीधे सृजित करने की अनुमति न दी जाए तथा इन सभी का मिलान दैनिक आधार पर किया जाए। 9. इसके अतिरिक्त, एनपीए को कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये/उपाय किये गये हैं: - एनपीए की समस्या को पूरी तरह से दूर करने के लिए वर्ष 2015 में आस्ति गुणवत्ता समीक्षा प्रारम्भ की गई थी और बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों की पारदर्शितापूर्ण यथार्थपूर्ण रूप से एनपीए के रूप में पहचान की गई है। पारदर्शी समाधान प्रक्रिया बनाने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को अधिनियमित किया गया है, जिसने उधारकर्ता-उधारदाता संबंध को पुनर्परिभाषित किया है। समयबद्ध समाधान सक्षम बनाने हेतु, कानून के अंतर्गत आरबीआई को बैंकों को आईबीसी के तहत समाधान के लिए मामले को एनसीएलटी में भेजने का निदेश देने हेतु प्राधिकृत किया गया है, और आरबीआई ने उच्च मूल्य वाली कई दबावग्रस्त आस्तियों को एनसीएलटी को भेजने के लिए अधिदेशित किया है। इसके अंतर्गत, 12 सबसे बड़े चूककर्ताओं, जिनकी कुल राशि लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपये है, के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में मामले प्रारंभ किये गये हैं तथा तदनंतर, लगभग 0.97 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि वाले 27 खातों के दूसरे सेट को एनसीएलटी को भेजा गया था। - यह स्पष्ट संदेश देने के लिए कि उधारकर्ता इरादतन चूक करने के साथ-साथ अपनी आस्तियों का स्वामित्व नहीं बनाये रख सकते हैं, इरादतन चूककर्ताओं और जुड़े हुये व्यक्तियों पर समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से पाबंदी लगा दी गई है। - वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वसूली को तीव्र गति प्रदान करने के लिए छह नये ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई है।		
--	--	--	---	--	--

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			v. इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देश निम्नानुसार है : (क) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु आरबीआई ने एक संशोधित ढांचा जारी किया है जिसमें उच्च-मूल्य वाले दबावग्रस्त खातों के लिए समयबद्ध समाधान की व्यवस्था है। (ख) बैंकों को वसूली प्रकोष्ठों की स्थापना, वसूली लक्ष्य निर्धारित करने और वसूली की उपलब्धियों की गहन निगरानी करने का परामर्श दिया गया है। (ग) बैंक के निदेशक मंडल को 5 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक बकाया वाले उधार खातों के आस्ति वर्गीकरण में त्रुटियों(स्लिपेज) की समीक्षा करने और एनपीए की प्रत्येक श्रेणी में 5 करोड़ रुपये से कम के शीर्ष 100 उधार खातों की समीक्षा करने का परामर्श दिया गया था। (घ) बैंकों को आपदा के प्रारम्भिक संकेतों की पहचान करने के लिए ठोस तंत्र बनाने तथा ऐसे प्रारम्भिक चेतावनी संकेत का उपयोग करने के लिए ऐसे खातों के आर्थिक मूल्य को बनाये रखने के लिए अर्थक्षम खातों के मामले में एक पारदर्शी पुनर्संरचना तंत्र सहित एक प्रभावी रोकथाम आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा बनाने का परामर्श दिया गया था। vi. आरबीआई ने ऋण आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण और उधारकर्ताओं को प्रकटन हेतु बड़े उधारों पर सूचना की केन्द्रीय रिपॉजिटरी (सीआरआईएलसी) की स्थापना की है। सीआरआईएलसी का मुख्य उद्देश्य दो आयामी है-(i) सूचना विषमता को कम करते हुये आस्ति गुणवत्ता समस्याओं की शीघ्र पहचान तथा (ii) बैंकों को सुविचारित ऋण निर्णय लेने में मदद करना। vii. एनपीए से कमजोर हुये बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए पीएसबी का अभूतपूर्व पूंजीकरण प्रारम्भ किया गया था जिसके लिए अगस्त 2015 में घोषित इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत 70,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रारंभ किया गया था जिसे अक्टूबर 2017 में घोषित 2,11,000 करोड़ रुपये के पुनर्पूँजीकरण के माध्यम से बढ़ा दिया गया था। viii. लेखा परीक्षा मानकों के प्रवर्तन और लेखा परीक्षाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया है। ix. विवेक पूर्ण उधार, बेहतर ग्राहक सेवा, बड़ी हुई ऋण उपलब्धता और बेहतर अभिशासन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक बोर्डों द्वारा एक समग्र पीएसबी सुधार एजेंडा अनुमोदित किया गया है।		
--	--	--	--	--	--

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			x. इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा घोषित पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत पीएसबी ने ध्यान केन्द्रित वसूली, समूह तूलन-पत्रों की समीक्षा करके स्वीकृति हेतु कठोर संयत सावधानी और मूल्यांकन, कंसोर्टियम उधार में कम से कम 10% भागीदारी, नकद प्रवाहों की कड़ी निगरानी (रिंगफेंसिंग) आंकड़ा स्रोतों के लिए समग्र सम्यक सावधानी हेतु प्रौद्योगिकी और विश्लेषण विज्ञान का उपयोग प्रारम्भ करना, टेक्नो-आर्थिक मूल्यांकन हेतु क्षमता निर्माण, विशेषीकृत निगरानी हेतु एजेंसियों के साथ समझौता करके बड़े मूल्य वाले खातों पर स्वीकृति उपरांत स्वच्छ और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई, तथा बड़ी हुई जवाबदेही के लिए स्वीकृति पूर्व और स्वीकृति पश्चात भूमिकाओं को कड़ाई से अलग-अलग करके; स्वच्छ और वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण करोबार हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। xi. स्वच्छ और प्रतिक्रियात्मक बैंकिंग के प्रति प्रतिबद्धता :- सरकार के प्रयासों का लक्ष्य एक स्वच्छ बैंकिंग प्रणाली बनाना है जिसमें उधारकर्ता बिना किसी परेशानी के उधार प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इरादतन चूककर्ता तथा अन्य लोगों, जो वित्त प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जिम्मेदारी से पुनर्भुगतान में असफल हो जाते हैं, को जवाबदेह ठहराया जाये। इस प्रकार सरकार के प्रयासों से निम्नलिखित परिणाम सामने आये हैं: • बैंकों द्वारा एनपीए की पारदर्शी पहचान और परिणामी प्रावधानीकरण, • उधारकर्ता-उधारदाता संबंध में मूलभूत परिवर्तन, • तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक समयबद्ध दृष्टिकोण, • स्वच्छ उधार नीतियां और प्रक्रियाएं, • प्रौद्योगिकी जोखिमों सहित परिचालनात्मक जोखिमों के बेहतर प्रबंधन हेतु मानकों की स्थापना; और पीएसबी में अभिशासन का सुदृढीकरण। चूंकि एकमुश्त प्रावधानीकरण और पूंजीकरण से तुलन-पत्र स्वच्छ बना दिये गये हैं, इसलिए पीएसबी की पीसीआर जो कि वर्ष 2016 में 52.15% थी, वह वर्ष 2018 में बढ़कर 61.1% हो गई है जो कि एनपीए के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का अनुशासन अपनाता इंगित करता है। इसे सीइटी-1 पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुये प्राप्त किया गया है। पुनर्पूँजीकरण के एक परिणामस्वरूप आर्थिक विकास के पुनर्निर्माण में सहायता करने की बैंकों की क्षमता बहाल हुई है, जिससे मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों में वर्षानुवर्ष आधार पर 10.3% की वृद्धि से पता चलता है।		
--	--	--	--	--	--

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

4.	04	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 88,000 करोड़ रुपए की नई पूंजी लगाने के सरकार के निर्णय के संदर्भ में इसे निष्पादन मीट्रिक्स के एक समूह से जोड़ते हुए, समिति नोट करती है कि अग्रिमों के लिए प्रगामी प्रावधान हेतु बैंकिंग क्षेत्र में और पूंजी निवेश की आवश्यकता हो सकती है, जिसके साथ-साथ एनपीएन की मात्रा और बेसल-तीन मानकों के साथ नए आईएफआरएस अभिसरित लेखांकन मानक (इंडएस) अपनाते होंगे जिसमें उपर्युक्त पुनर्पूँजीकरण का एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा। इसके अलावा, कंपनियों द्वारा उनकी आवश्यकता की 25% निधियां बांड बाजार से उगाहने के सेबी के प्रस्तावित दिशानिर्देश से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कारपोरेट क्षेत्र को ऋण देने पर और भी पाबंदियां लग सकती हैं। समिति चाहती है कि वित्तीय सेवाएं विभाग बैंकों के पूंजीकरण और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को आवश्यक ऋण देने की उनकी भावी क्षमता पर इस अभिसरण के प्रभावों का मूल्यांकन करे। समिति का विश्वास है कि एक तीव्रतर दिवालियापन प्रक्रिया से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। समिति के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न बैंकों के ऋण-जमा (सीडी) अनुपात आंकड़े एकतरफा वृद्धि और देशभर में ऋण के असमान वितरण की दुखद तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य/क्षेत्र विशेषकर पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र बैंक ऋण की उपलब्धता/प्राप्ति के मामले में स्पष्ट रूप से पीछे हैं। विभाग को, बैंकिंग क्षेत्र के लिए रणनीतियां और नीतिगत प्रतिक्रिया तैयार करते समय इस गंभीर कमी का स्पष्ट समाधान करना चाहिए और बार-बार दोहराया जाता है कि पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को पूरा किया जाए।	(वित्तीय सेवाएं विभाग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में 88,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किये गये पूंजी निवेश के संबंध में यह बताया जाता है कि केन्द्रीय बजट 2018-19 में और पूंजी निवेश हेतु 65,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में घोषित पुनर्पूँजीकरण में पीएसबी द्वारा स्वयं 58,000 करोड़ रुपये तक पूंजी जुटाने की अवधारणा है जिसकी तुलना में पीएसबी ने दिनांक 31.03.2018 तक 8,701 करोड़ रुपये जुटा लिये थे तथा लगभग 50,000 करोड़ रुपये की शेष राशि को विद्यमान बाजार परिस्थितियों के अनुसार जुटाये जाने का अनुमान है। बाण्ड बाजार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और कॉरपोरेट अपनी ऋण आवश्यकताओं का बैंकों के साथ-साथ बॉण्डों दोनों से पूरा कर सकते हैं। जहां तक कंपनियों के लिए अपनी आवश्यकताओं की 25% तक की पूंजी को बॉण्ड बाजारों से जुटाने की आवश्यकता के प्रस्तावित विनिर्धारण के बैंकों पर होने वाले प्रभावों का संबंध है, यह बताया जाता है कि बैंक एसएलआर आवश्यकताओं, खजाना प्रबंधन और पोर्टफोलियो विविधीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैंकों के पास प्रतिभूति निवेशों के बड़े पोर्टफोलियो होते हैं। विभिन्न मानदण्डों का अनुपालन करने की आवश्यकता के संबंध में यह बताया जाता है कि संगत प्राधिकरण विभिन्न मानदण्डों को अपनाने के संबंध में इस प्रकार अपनाने से होने वाले लाभों पर विचार करने के उपरांत निर्णय लेते हैं। आरबीआई ने वर्ष 2013 में 4.5% के बॉसेल III मानदण्डों की तुलना में 5.5% की दर पर सीईटी 1 सहित वित्तीय और आर्थिक दबाव से उत्पन्न होने वाले आघातों को सहन करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को सुधारने के उद्देश्य से बॉसेल III ढांचे को अपनाने का निर्णय लिया था। रिपोर्टिंग करने वाले देशों में एक साझा आईएफआरएस-कन्वर्ज्ड वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का उद्देश्य एक विश्वसनीय, सुसंगत और एक समान वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारंभ करना है, और भारत में आईएफआरएस के साथ “कन्वर्जेंस” के दृष्टिकोण को आईएफआरएस के “कुल अपनाने” की तुलना में भारतीय अकाउंटिंग मानकों (इंड एस) के माध्यम से अपनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विनियमकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य-आउट विनिर्धारित करने का लचीलापन बनाए रखना है। आरबीआई ने अब तक आईएफआरएस को लागू नहीं किया है। तत्पर और तीव्र दिवाला प्रक्रिया के संबंध में यह बताया जाता है कि दिवाल और ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में समयबद्ध समाधान प्रक्रिया की व्यवस्था है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत समाधान बिक्रियों से वसूली प्रारंभ हो गयी है।	जी, हां।	-
----	----	--	--	----------	---

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

5.	05	समिति नोट करती है कि बजट में 80,000 करोड़ रुपये की विनिवेश प्रसियों के संबंध में अपनाए गए पूर्ण आशा दृष्टिकोण में वित्तीय पारदर्शिता का अभाव है , क्योंकि विभिन्न घटकों जैसे इक्विटी विक्रय, रणनीति विनिवेश तथा अन्य को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। समिति विनिवेश के इन घटकों को अलग-अलग और भविष्य में अनुमानित बड़ी संख्या में प्राप्तियाँ एकत्रित करने की विशेष रूप-रेखा से अवगत होना चाहेगी , क्योंकि सरकार संसाधन जुटाने के लिए गैर-कर स्रोतों की प्राप्तियों पर अत्यधिक आशा लगाए बैठी है। इस संदर्भ में, समिति सरकार को आगाह करना चाहेगी कि वह इस समय चांदी के विक्रय जैसे महत्वकांक्षी लक्ष्यों से बचे क्योंकि यह एक उचित कदम नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसी महत्वकांक्षी योजनाओं से ओएनजीसी और एचपीसीएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के विशाल और स्थिर उद्यमों के संबंध में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री में वांछित तत्परता बरतने की बजाय केवल ढिलाई बरती जाएगी।	(निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) - सरकार सीपीएसईस में विनिवेश मौजूदा विनिवेश नीति के अनुसार कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित परिकल्पना की गई है :- - लाभप्रद सीपीएसईस का स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण ताकि कंपनी का वास्तविक मूल्य प्रकट हो सके, दक्षता में सुधार हो सके और सीपीएसईस में जन-भागीदारी को प्रोत्साहित कर 'जन-स्वामित्व' को बढ़ावा दिया जा सके। - सूचीबद्ध सीपीएसईस में "अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री" के माध्यम से विनिवेश ताकि न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। "अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री" के माध्यम से विनिवेश करते समय सरकार अधिकांश अर्थात् 51% शेयरधारिता और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन नियंत्रण अपने पास बनाए रखेगी। - अभिज्ञात सीपीएसईस में सरकारी शेयरधारिता में से 50% या उससे अधिक के एक सार्थक हिस्से की बिक्री के जरिए प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ सामरिक विनिवेश। - सीपीएसईस में सूचीकरण और अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से सरकारी शेयरधारिता का विनिवेश कंपनी का वास्तविक मूल्य निर्मुक्त करने, जन-स्वामित्व और उच्चतर जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सीपीएसईस के सामरिक विनिवेश के मामले में यह प्रत्याशा की जाती है कि सामरिक खरीदार व्यावसायिक क्षमता के अधिकतम विकास तथा कंपनियों की समृद्धि के लिए निधियों/प्रौद्योगिकी/नए प्रबंधन आदि का समावेश करेगा। - सरकार सीपीएसईस में अपनी शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए मौजूदा नीति, लागू अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार विनिवेश की अनुमत पद्धतियों में से कोई एक पद्धति अपनाती है। वास्तविक विनिवेश बाजार परिस्थितियों और निवेशक अभिरुचि सहित अनेक घटकों पर निर्भर करता है। इन घटकों के आधार पर ही उपर्युक्त श्रेणियों (आरंभिक पेशकश, अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री या सामरिक विनिवेश) में से किसी भी श्रेणी के परिपक्व प्रस्तावों को विनिवेश हेतु आगे बढ़ाया जाता है ताकि विनिवेश के वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। अतः विनिवेश की विभिन्न पद्धतियों से प्राप्ति का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं होता है।	सरकार की स्थिति स्वस्थ-4 में स्पष्ट की गई है।	-
----	----	--	--	---	---

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			4. सीपीएसईस के विनिवेश की समस्त प्रक्रिया एक ऐसे परिवेश में संचालित की जाती है, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। सरकार, नीति और प्रतिबद्धता के अनुसार विनिवेश सौदों के लिए सही अवसर की तलाश में रहती है तथा विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती है।		
6.	06	समिति महसूस करती है कि जनसाधारण में बीमा संबंधी लाभों की आवश्यकता को उजागर करने, नवप्रवर्तनशील, विशिष्ट रूप से निर्मित उत्पाद प्रदान करने तथा जागरूकता उत्पन्न करने और व्यापक रूप से बीमा कवरेज को बढ़ाए जाने की अत्यावश्यकता है। हालांकि देश में 25 से 30 करोड़ लोगों ने लाइफ कवर लिया हुआ है, लेकिन बीमाकृत राशि आवश्यकताओं से बहुत कम है। जबकि देश में बीमा कवरेज 3.49 प्रतिशत है, सामान्य बीमा 1 प्रतिशत से कम है। समिति नोट करती है कि सरकार की स्कीमें जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना और हाल ही में घोषित नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ने निसंदेह बीमे को राष्ट्रीय नीति निर्माण में अग्र स्थान दिला दिया, लेकिन इन स्कीमों को उचित रूप से तैयार कर, परस्परता निर्धारित करके तथा पर्याप्त निधियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि वांछित लाभ लाभार्थियों तक पहुंच सके और प्रीमियम दरें भी नाममात्र की रहें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बीमा कंपनियां विशेष रूप से निजी क्षेत्र की कंपनियां स्वास्थ्य बीमा के साथ-साथ दावों के निपटान में कैश-लेस के संबंध में कड़ाई से अनुपालन करें।	(वित्तीय सेवाएं विभाग) 1. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं - जन धन से जन सुरक्षा तक : सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए, विशेष रूप से गरीब और वंचितों के लिए माननीय प्रधान मंत्री ने बीमा और पेंशन क्षेत्रों में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की अर्थात् प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना जिनको अखिल भारतीय आधार पर 9 मई, 2015 से लागू किया गया। बीमा से संबंधित दो योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: I. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) - यह योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास बैंक खाता है तथा जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने की सहमति देते हैं। आधार बैंक खातों के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। 2 रुपए लाख रुपए की जीवन बीमा कवर एक वर्ष की अवधि अर्थात् 1 जून से 31 मई तक के लिए उपलब्ध है तथा नवीकरणीय है। किसी भी कारण से बीमाधारक की मृत्यु के मामले में इस योजना के तहत जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये है। प्रीमियम प्रति वर्ष 30 रुपए है जिसे योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 31 मई को या उससे पहले दिए गए विकल्प के अनुसार ग्राहक के बैंक खाते से एक किश्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है। यह योजना जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा दी जा रही है जो इस उद्देश्य हेतु बैंकों के साथ समझौता तथा आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पादों को आफर कर रहे हैं। II. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) - यह योजना 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है तथा जो वार्षिक नवीनीकरण आधार पर 1 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि के लिए 31 मई अथवा इससे पूर्व ऑटो डेबिट में शामिल होने/समर्थित करने की सहमति देते हैं। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के तहत जोखिम कवरेज आकस्मिक मौत और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक अक्षमता के लिए 1 लाख रुपये है। एक किश्त में 'ऑटो-डेबिट' सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम काटा जाना है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों या किसी अन्य जनरल इंश्योरेंस	जी, हां।	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

		कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है जो इस उद्देश्य हेतु बैंकों के साथ समझौता तथा आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पादों को आफर कर रहे हैं। उपलब्धियां - 4 जुलाई, 2018 तक की स्थिति के अनुसार पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई की उपलब्धियां नीचे दी गई तालिका में हैं: - <table><tr><th colspan="3">04/07/2018 की स्थिति के अनुसार जनसुरक्षा प्रगति</th></tr><tr><th colspan="3">नियमों और निधि आदि की उपलब्धता के अनुसार आवेदकों की योग्यता के सत्यापन के अधीन बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल नामांकन</th></tr><tr><th colspan="3">प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)</th></tr><tr><th>नामांकन (करोड़ों में)</th><th>भुगतान किए गए दावों की संख्या</th><th>वितरित राशि (करोड़ में)</th></tr><tr><td>5.38</td><td>97,720</td><td>1954.40</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><th colspan="3">प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)</th></tr><tr><th>नामांकन (करोड़ों में)</th><th>भुगतान किए गए दावों की संख्या</th><th>वितरित राशि (करोड़ में)</th></tr><tr><td>13.62</td><td>17,801</td><td>356.02</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><th colspan="3">कुल (पीएमजेजेबीवाई + पीएमएसबीवाई)</th></tr><tr><th>नामांकन (करोड़ों में)</th><th>भुगतान किए गए दावों की संख्या</th><th>वितरित राशि (करोड़ में)</th></tr><tr><td>19.00</td><td>1,15,521</td><td>2310.42</td></tr></table>	04/07/2018 की स्थिति के अनुसार जनसुरक्षा प्रगति			नियमों और निधि आदि की उपलब्धता के अनुसार आवेदकों की योग्यता के सत्यापन के अधीन बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल नामांकन			प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)			नामांकन (करोड़ों में)	भुगतान किए गए दावों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	5.38	97,720	1954.40				प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)			नामांकन (करोड़ों में)	भुगतान किए गए दावों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	13.62	17,801	356.02				कुल (पीएमजेजेबीवाई + पीएमएसबीवाई)			नामांकन (करोड़ों में)	भुगतान किए गए दावों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)	19.00	1,15,521	2310.42		
04/07/2018 की स्थिति के अनुसार जनसुरक्षा प्रगति																																											
नियमों और निधि आदि की उपलब्धता के अनुसार आवेदकों की योग्यता के सत्यापन के अधीन बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल नामांकन																																											
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)																																											
नामांकन (करोड़ों में)	भुगतान किए गए दावों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)																																									
5.38	97,720	1954.40																																									
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)																																											
नामांकन (करोड़ों में)	भुगतान किए गए दावों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)																																									
13.62	17,801	356.02																																									
कुल (पीएमजेजेबीवाई + पीएमएसबीवाई)																																											
नामांकन (करोड़ों में)	भुगतान किए गए दावों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ में)																																									
19.00	1,15,521	2310.42																																									
2. अन्य बातों के साथ-साथ, बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं: क) उपभोक्ता शिक्षा के उपाय उपभोक्ता शिक्षा वेबसाइट www.policyholder.gov.in के माध्यम से किए जाते हैं। यह वेबसाइट बीमा के विभिन्न पहलुओं को समझने में आसानी हेतु हाइलाइट करती है। ख) पिछले कुछ सालों में आईआरडीएआई द्वारा 'बीमा बेमिसाल' अभियान चलाया गया है। यह बीमा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने और नीतियों को लागू करने के लिए एक सतत अभियान रहा है। ग) आईआरडीएआई ने बीमा के महत्व पर और गलत तरीके से बिक्री रोकने के लिए																																											

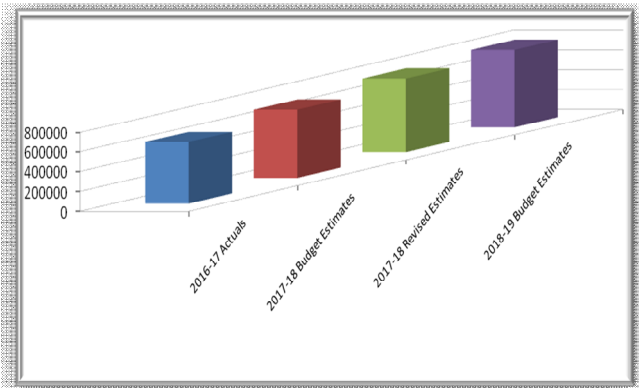
क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			उपभोक्ताओं को शिक्षित करने हेतु विभिन्न भाषाओं में रेडियो जिंगल्स भी जारी किए हैं। घ) आईआरडीएआई ने वितरण का एक नवीन चैनल शुरू किया है अर्थात आईआरडीए (बीमा विपणन फर्म पंजीकरण) विनियम, 2015 के माध्यम से बीमा विपणन फर्म। इसका उद्देश्य एक से अधिक बीमाकर्ताओं के उत्पादों को हैंडल करने वाले मध्यस्थों के माध्यम से बीमा के प्रवेश में वृद्धि करना है। 3. नकद रहित पहलू के साथ-साथ दावों के निपटारे के संबंध में स्वास्थ्य बीमा: क) 29 जुलाई, 2016 दिनांकित आईआरडीए/एचएलटी/आईजी/सीआईआर/150/07/2016, स्वास्थ्य बीमा व्यापार में उत्पाद फाइलिंग पर दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले बीमा उत्पाद सरकार द्वारा निर्धारित योजना की शर्तों का पालन करेंगे। ख) उपर्युक्त दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित उपयोग और फ़ाइल प्रक्रिया के तहत निविदा दिए जाने के बाद आईआरडीएआई के पास सरकारी योजनाएं फाइल की जाती हैं। ग) एमओयू के नियमों और शर्तों के अनुसार नकदी रहित सुविधा पेश की जाती है और दावा निपटान एमओयू में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाता है। आमतौर पर, एमओयू अनुबंधिक दायित्वों के उल्लंघन के लिए परिनिर्धारित हर्जाना भी निर्दिष्ट करता है। घ) आईआरडीएआई ने 18 जुलाई 2016 को आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम 2016 (यहां एचआईआर 2016 कहा जाने के बाद) को अधिसूचित किया जो कि अन्यथा निर्दिष्ट बीमा अधिनियम 1938 के तहत परिभाषित स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का संचालन करने वाली सभी पंजीकृत जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमा कंपनियों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर लागू होते हैं। ये नियम सभी टीपीए पर भी लागू होंगे जिनका जहां भी उल्लेख किया गया है। ड.) अन्य बातों के साथ-साथ, एचआईआर 2016 के विनियमन 27(ii) यह भी निर्दिष्ट करता है कि "एक बीमाकर्ता अंतिम 'आवश्यक' दस्तावेज की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, दावों का निपटान करेगा या अस्वीकार कर देगा। च) एचआईआर 2016 के विनियमन 30 में भी निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है: i) पॉलिसी की शर्तों के अधीन, सामान्य बीमाकर्ता और स्वास्थ्य बीमाकर्ता सभी पॉलिसीधारकों को विशिष्ट प्रतिष्ठानों पर इलाज के लिए नकदी रहित सुविधा या किसी भी चिकित्सा प्रतिष्ठान में प्राप्त चिकित्सा और स्वास्थ्य उपचार या सेवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति करेंगे।		
--	--	--	--	--	--

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			ii) नकदी रहित सुविधा केवल उन प्रतिष्ठानों में दी जाएगी जिन्होंने बीमाकर्ताओं के साथ ऐसी सेवा देने के लिए समझौता किया है। ऐसे प्रतिष्ठानों को नेटवर्क प्रदाता के रूप में जाना जाएगा।		
7.	07	इस संदर्भ में, समिति यह भी उल्लेख करना चाहेगी कि व्यापक रूप सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख और सेवाओं का सुधार और विस्तार भी आवश्यक है क्योंकि निजी अस्पताल और नर्सिंग होम्स बढ़ती हुई स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। इस उद्देश्य हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बजटीय आबंटन में आवश्यक रूप से वृद्धि, और इस वृद्धि को निरंतर बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि बजटीय आबंटन की वर्तमान प्रकृति कोई भी प्रभाव डालने के लिए बहुत ही कम है (2017-18 के 83,460.80 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को कम करके 2018-19 के बजट अनुमान में 77,069.85 करोड़ रुपये कर दिया गया है)। यहां तक कि प्रस्तावित अग्रणी स्कीम, नेशनल हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए भी इस बजट में तदनुसूची आबंटन नहीं किया गया है।	(आर्थिक कार्य विभाग) 2017-18 के संशोधित अनुमान की राशि 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना से यह प्रतीत होता है कि इसमें 31,909.95 करोड़ रुपये की वसूलियां शामिल हैं। 2017-18 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 28,000 करोड़ रुपये की वसूलियां राशि राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त हुई हैं। यह उल्लेख किया जाए कि आवंटित राशि 50,542 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 83,461 करोड़ रुपये कर दी गई है। वसूली की निवल राशि (एनआईएफ और अन्य से) 2018-19 के ब.अ. में आबंटन की राशि 2017-18 के सं.अ. में 51,550 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2018-19 के ब.अ. में 52,800 करोड़ रुपये कर दी गई है। 2017-18 के सं.अ. के अंतर्गत राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त निवल वसूलियां 2018-19 के ब.अ. की तुलना में लगभग 7000 करोड़ रुपये अधिक हैं। जहां तक नई घोषित "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" के लिए आबंटन का संबंध है, आगामी पूरक मांगों में सं.अ. आवश्यक आबंटन किया जाएगा। जैसे ही आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होंगे, व्यय अनुसूची इत्यादि तैयार की जाएगी। (व्यय विभाग) सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कुल आबंटन 53294.24 करोड़ रुपये (बजट 2017-18 में सं.प्रा.) से बढ़ाकर 54600 करोड़ रुपये (वर्ष 2018-19 में ब.प्रा.) कर दिया है जो 2.45% की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रिमंडल ने 21 मार्च, 2018 को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की है जिसका 2018-19 और 2019-20 में कुल वित्तीय परिव्यय (केन्द्रीय हिस्सा) 10498 करोड़ रुपये है। वर्ष-वार वित्तीय परिव्यय (केन्द्रीय हिस्सा) में वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्रीय हिस्सा 3135 करोड़ रुपये है और वर्ष 2019-20 के लिए यह हिस्सा 7363 करोड़ रुपये है जो कुल 10498 करोड़ रुपये बनता है। प्रथम वर्ष अर्थात् 2018-19 में दूसरी छमाही से इस स्कीम के तहत नामांकन धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है और तदनुसार धनराशि का प्रावधान किया गया है। तथापि, स्कीम पैक के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को	स्वीकृत	-
				स्वीकृत	प्रथम वर्ष अर्थात् 2018-19 में दूसरी छमाही से इस स्कीम के तहत नामांकन धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है और तदनुसार धनराशि का प्रावधान किया गया है। तथापि, स्कीम पैक के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

					संशोधित प्राक्कलन में पर्याप्त धनराशि यदि आवश्यक हो, उपलब्ध कराई जाएगी।																									
8.	08	समिति नोट करती है की हालांकि 2018 में पूंजी निवेश में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है , यह 2017 के पूंजी परिव्यय के लोअर बैस के विपरीत है जो वास्तव में पूर्व वर्ष अर्थात 2016 की तुलना में नीचे चला गया था अतः आवश्यक रूप से 2018 के लिए पूंजी परिव्यय की समग्र संख्या में कोई वृद्धि नहीं थी यदि हम इस तथ्य पर विचार करते है की अर्थव्यवस्था की सकल पूंजी संग्रहण में गिरावट रही है तो यह स्थिति और बदतर दिखाई देती है यह 2016-17 की 30.8 प्रतिशत से 2017-18 में नीचे 26.4 प्रतिशत रही और 2013-14 में यह 34.7 प्रतिशत थी यह चिंताजनक प्रवृति है क्योंकि तय पूंजी निर्माण व्यय की गयी कुल पूंजी का 70 प्रतिशत होता है इसके अतिरिक्त ,सीएमआईई के अध्ययन के अनुसार 503 बिलियन रुपए के निवेश की परिकल्पना करते हुए सितम्बर 2017 की तिमाही के अंत के दौरान 36 परियोजनाओं के कार्यान्वयन को रोक दिया गया था समिति यह भी नोट करती है कि हो सकता है कि नई वित्तीय संरचना में पूंजी व्यय को आवश्यक श्रेष्ठता न प्राप्त हो इससे भी दिक्कत की बात यह है निजी निवेश के पुनः शुरु होने के कोई संकेत नहीं हैं अतः समिति चिंतित है कि इस परिदृश्य में जब बजट में इसका स्पष्ट निपटारा नहीं किया गया है तो सरकार अर्थव्यवस्था में कैसे दोनों सार्वजनिक और निजी निवेश को पुनर्जीवित करेगी ऐसा प्रतीत होता है कि संसाधन जुटाने के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सीधे बाजार से तथा अतिरिक्त बजटीय स्रोतों पर निर्भर रही है समिति के मतानुसार बड़े स्तर को पूंजी निवेश के लिए बजट बनाते समय एक दीर्घावधि रणनीति और सतत वित्तीय प्रबंधन नीति की आवश्यकता होती है इससे हमारी युवा जनसंख्या को लाभप्रद रोजगार देने में भी काफी सहायता मिलेगी अतः समिति चाहती है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक आर्थिक और वित्तीय	(आर्थिक कार्य विभाग) सरकार का पूंजी व्यय (₹ करोड़) <table><tr><td></td><td>2016-17 वास्तविक</td><td>2017-18 बजट अनुमान</td><td>2017-18 संशोधित अनुमान</td><td>2018-19 बजट अनुमान</td></tr><tr><td>सकल बजटीय सहायता</td><td>284,609</td><td>309,801</td><td>273,445</td><td>300,441</td></tr><tr><td>रेल मंत्रालय (आईईबीआर)</td><td>64,703</td><td>76,000</td><td>80,000</td><td>93,440</td></tr><tr><td>आईईबीआर (रेल मंत्रालय को छोड़कर)</td><td>273,394</td><td>309,027</td><td>396,859</td><td>384,831</td></tr><tr><td>कुल</td><td>622,706</td><td>694,828</td><td>750,304</td><td>778,712</td></tr></table> 		2016-17 वास्तविक	2017-18 बजट अनुमान	2017-18 संशोधित अनुमान	2018-19 बजट अनुमान	सकल बजटीय सहायता	284,609	309,801	273,445	300,441	रेल मंत्रालय (आईईबीआर)	64,703	76,000	80,000	93,440	आईईबीआर (रेल मंत्रालय को छोड़कर)	273,394	309,027	396,859	384,831	कुल	622,706	694,828	750,304	778,712	स्वीकृत	-
	2016-17 वास्तविक	2017-18 बजट अनुमान	2017-18 संशोधित अनुमान	2018-19 बजट अनुमान																										
सकल बजटीय सहायता	284,609	309,801	273,445	300,441																										
रेल मंत्रालय (आईईबीआर)	64,703	76,000	80,000	93,440																										
आईईबीआर (रेल मंत्रालय को छोड़कर)	273,394	309,027	396,859	384,831																										
कुल	622,706	694,828	750,304	778,712																										

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

		प्रोत्साहन दिये जाएं ताकि व्यापक रूप से पूंजी निवेश आ सके।	जैसा कि सारणी से देखा जा सकता है, पूंजी व्यय में मामूली वृद्धि हुई है। ब.अ. 2017-18 से सं.अ. 2017-18 तक सकल बजटीय सहायता के पूंजी व्यय में ₹36356 करोड़ की कमी आई है। यह कमी काफी हद तक अपने पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए रेलवे को ब.अ. 2017-18 में उपलब्ध कराई गई ₹55000 करोड़ की बजटीय सहायता में कटौती करके सं.अ. 2017-18 स्तर में ₹40000 करोड़ करने की वजह से हुई है। तथापि, यह कमी रेलवे की चल संपत्ति की आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिए भारतीय रेल वित्त निगम का बाजार उधार ब.अ.2017-18 में ₹40000 करोड़ से बढ़ाकर सं.अ. 2017-18 में ₹45100 करोड़ करने की मामूली वृद्धि से प्रतिसंतुलित हो गई है।		
9.	09	समिति नोट करती है कि राजकोषीय घाटा बजट में 2018-19 के जीडीपी का 3.3 प्रतिशत दर्शाया गया है, हालांकि बजट अनुमान 2017-18 में यह अत्यधिक रूप से बढ़ा और 2017-18 में संशोधित अनुमान के साथ बढ़कर 3.5 प्रतिशत रही क्योंकि सरकार का अपने व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उधार लेने के उपाय करने पड़े। 2018-19 में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की अपेक्षा की जा सकती है जिसमें पूर्व वर्ष की तरह राजस्व में उतनी अधिक वृद्धि नहीं हो सकती है जितनी आम माफी स्कीमों तथा नोटबंदी के कारण हुई थी। वित्तीय घाटे की बजट सीमा को पार करने की सम्भावना है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नियम तार-तार हो जाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे परिदृश्य में समिति यह समझने में असमर्थ है कि घोषित अग्रणी स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों और 5 लाख रुपए तक को बीमा कवर प्रत्येक परिवार के लिए प्रत्येक वर्ष सहित) के व्यय को पूरा करने के लिए कैसे अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएंगे। अतः समिति को स्कीमों के वित्त पोषण और तत्संबंधी संसाधनों के जुटाने के तरीकों से अवगत होना चाहिए।	(आर्थिक कार्य विभाग) 2017-18 के सं.अ. में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में बहुोत्तरी का मुख्य कारण जीएसटी का चारों तरफ पड़ा प्रभाव था (वित्त वर्ष 2018-19 पर)। यह नई अप्रत्यक्ष कर संहिता को अपनाने के कारण एकबारगी होने वाली घटना है और इससे आगामी वर्षों में राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। जैसाकि मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण 2018-19 में उल्लेख किया गया था, सरकार राजकोषीय संपोषणीयता और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। जैसाकि उपर्युक्त पैरा 7 के उत्तर में इंगित किया गया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम के वास्तविक निधियन व्यौरे को बजट प्रस्तुतीकरण के समय अंतिम रूप नहीं दिया गया था। एनएचपीएस जैसी स्कीमों के निधियन के व्यौरे को संबंधित मंत्रालयों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का आरंभिक आवंटन उपलब्ध कराया गया है। तथापि, सरकार, राजकोषीय विवेक के मार्ग पर चलने के लिए वचनबद्ध है। जैसाकि संसद में प्रस्तुत एफआरवीएम विवरणों में उल्लिखित है। सरकार के व्यय और राजस्व के लक्ष्य उनमें प्रस्तुत राजकोषीय रोडमैप के लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। (व्यय विभाग) मंत्रिमंडल ने 21 मार्च, 2018 को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की है जिसका 2018-19 और 2019-20 में कुल वित्तीय परिव्यय (केन्द्रीय हिस्सा) 10498 करोड़ रुपए है। वर्ष-वार वित्तीय परिव्यय (केन्द्रीय हिस्सा) में वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्रीय हिस्सा 3135 करोड़ रुपए है और वर्ष 2019-20 के लिए यह हिस्सा 7363 करोड़ रुपए है जो कुल 10498	स्वीकृत	-
				स्वीकृत	प्रथम वर्ष अर्थात् 2018-19 में दूसरी छमाही से इस स्कीम के तहत नामांकन

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			करोड़ रुपए बनता है। प्रथम वर्ष अर्थात् 2018-19 में दूसरी छमाही से इस स्कीम के तहत नामांकन धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है और तदनुसार धनराशि का प्रावधान किया गया है। तथापि, स्कीम पैक के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को संशोधित प्राक्कलन में पर्याप्त धनराशि यदि आवश्यक हो, उपलब्ध कराई जाएगी।		धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है और तदनुसार धनराशि का प्रावधान किया गया है। तथापि, स्कीम पैक के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को संशोधित प्राक्कलन में पर्याप्त धनराशि यदि आवश्यक हो, उपलब्ध कराई जाएगी।
10	10	केंद्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) को अब तक 17 वर्षों से सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शासित और भली-भांति उपयोग किया जा रहा था। समिति नोट करती है कि आगामी वित्तीय वर्ष से इस कोष को वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार और नियंत्रण में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। समिति केंद्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) को संबन्धित अवसरचनात्मक मंत्रालय के नियंत्रण से हटा कर वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में लाए जाने के कारणों से सहमत नहीं है। अतः समिति सिफारिश करती है कि अधिक कारगर कार्यान्वयन और तत्संबंधी प्रभावी नियंत्रण के लिए ऐसे अवसरचना कोष को वास्तव में, संबन्धित मंत्रालय/विभाग के नियंत्रण और क्षेत्राधिकार में रहना चाहिए जो इस विषय से सरोकार रखता है।	(आर्थिक कार्य विभाग) संसद द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया था ताकि हाईस्पीड डीजल ऑयल और मोटर स्पिरिट (पेट्रोल के रूप में जाने जाने वाले) पर अतिरिक्त सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाए जा सकें और इन उगाहियों के राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, संग्रहण का वितरण अंतर-राज्यीय और आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों, रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य जिसमें नई लाइनों, सामान्य लाइनों को गेज लाइन में परिवर्तित करने और रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण और सीमा क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं के विकास और रख-रखाव जैसी नामित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए किया जा सके। यह अधिनियम केन्द्र सरकार को अतिरिक्त शुल्क की उगाही करने और संग्रहित करने तथा उन्हें केन्द्रीय सड़क निधि के जरिए वितरित करने में सक्षम बनाता है जो वित्त मंत्रालय का प्रमुख कार्य है। 2. इसके अलावा, चूंकि व्यय की धीमी गति और सीमित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की खपाने की खराब क्षमताओं के कारण डीजल और पेट्रोल पर अतिरिक्त उगाहियों से प्राप्त आय का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए लेखा परीक्षा में यह उल्लेख किया गया है कि प्राप्तियों का पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया है। 3. इस स्थिति का समाधान करने के लिए, पेट्रोल/डीजल पर अतिरिक्त उगाही से जुटाई गई राशि के प्रयोग का दायरा बढ़ाया जाना आवश्यक समझा गया है। तदनुसार, मौजूदा निधि	स्वीकृत	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

		अर्थात् 'केन्द्रीय सड़क निधि' का नाम "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि" के रूप में पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है। साथ ही, इसमें निधियों के प्रयोग का दायरा बढ़ाया गया है और अब मौजूदा परिवहन क्षेत्र की परियोजनाओं के अलावा ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। आशा है कि अतिरिक्त उगाही से एकत्रित प्राप्तियों से इन निधियों का संपूर्ण प्रयोग/उपयोग किया जा सकेगा। (व्यय विभाग) अन्य बातों के साथ-साथ, परिवहन (सड़क और पुल, पत्तन, शिपयार्ड, अन्तर्देशीय जल मार्ग, विमानपत्तन, रेलवे, शहरी लोक परिवहन), ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना जैसे विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों के लिए धनराशि के आबंटन के लिए वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 के स्थान पर "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि" लाया गया है।	केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इन संशोधनों के अनुसार प्रत्येक अवसंरचना परियोजना के लिए धनराशि के संविभाजन को केन्द्र सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) ने अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 13.2.2018 के अ.शा. पत्र सं. आरडब्ल्यू/एच-11011/02/2018-	
--	--	---	---	--

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

				डब्ल्यू एंड ए के तहत माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया था कि प्रशासनिक सुविधा/आसानी के लिए केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रशासन की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय ले। इसलिए, वित्त मंत्रालय इस समिति की सिफारिशें स्वीकार न करने पर विचार कर सकता है।	
11	11	समिति का यह मत है कि भरोसा किए जा रहे खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों को कम करके बताया गया है क्योंकि सेवा क्षेत्र की मुद्रास्फीति को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किए जाने की संभावना हो सकती है। इस संबंध में यह नोट करने योग्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए ध्यान थोक मूल्यों से उपभोक्ता मूल्यों पर इसलिए केन्द्रित नहीं किया था कि इससे वास्तविक स्थिति का पता लग जाएगा बल्कि इसलिए भी किया क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक उसके नियंत्रण की सेवाओं को शामिल नहीं करता। तथापि यहां तक कि अन्य के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, (सीपीआई) में शिक्षा की बढ़ती लागत, स्वास्थ्य देख-रेख, परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं होते हैं। समिति महसूस करती है कि व्यय की वस्तुएं जैसे चिकित्सा, शिक्षा और परिवहन निजी प्रकृति तथा मांग-आपूर्ति के बढ़ते अंतर के कारण अनुपातहीन रूप से बढ़ सकते हैं जो सीपीआई में दर्शायी गई बढ़त से अधिक है। अतः सापेक्ष मूल्यों के उतार-चढ़ाव को समझने के लिए सेवा मुद्रास्फीति पर सटीक आंकड़े होना महत्वपूर्ण है विशेषकर तब जब सेवा क्षेत्र जीडीपी का आधा है। उपभोक्ताओं के हितों में कार्य करने के लिए क्षेत्रक नियामकों को भी मूल्यों उत्पादनों और सेवाओं की गुणवत्ता पर बेहतर आंकड़ों की आवश्यकता होती है। अतः समिति दृढ़तापूर्वक एक	(आर्थिक कार्य विभाग) की गई कार्रवाई अनुबंध-क में संलग्न है।	स्वीकृत	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

		अलग और पृथक सूचकांक नामतः व्यापार सेवा मूल्य सूचकांक के लिए बल देती है जो अर्थव्यवस्था की विभिन्न सेवाओं के बढ़ते मूल्यों को प्रतिबिम्बित करेगा और वास्तविक घटकों को दर्शाएगा। समिति इस विषय में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा रखती है।			
12	12	भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ वर्षों पहले बचत बैंकों (एसबी) के खातों पर व्याज दरों को नियंत्रण मुक्त कर दिया था। आश्चर्यजनक रूप से, ऐसे खातों पर कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक 4 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक का भुगतान नहीं कर रहा है। हालांकि यह जमा राशि बैंकों के पास कम-से-कम लागत वाली जमा राशि है, फिर भी प्रतीत होता है कि बहुत कम बैंकों ने नियंत्रण मुक्त का अक्षरशः पालन किया है। अतः समिति सिफारिश करती है कि वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम ऐसे खातों पर कुछ और अधिक व्याज की दर देते हुए बचत बैंक खातों की व्याज दरों को आधार दर या सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। अतः समिति सिफारिश करती है कि बजट में की गई वरिष्ठ नागरिक अनुकूल घोषणाओं के दृष्टीगत वरिष्ठ नागरिकों जो सभी अनुसूचित बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सावधिका जमाओं पर सामान्य दर से कम-से-कम एक प्रतिशत उच्च व्याज दर दी जानी चाहिए। तदनुसार विशेष वरिष्ठ नागरिक स्कीम जो वर्तमान में केवल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा परिचालित तथा वरिष्ठ नागरिकों को उच्च दर दे रहा है आगे से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कार्यान्वित करनी चाहिए। बैंकों द्वारा एटीएम और एमडीआर शुल्कों को कम/माफ कर देना चाहिए।	(वित्तीय सेवाएं विभाग) आरबीआई के अनुसार, जहां तक बचत बैंक खातों को आधार या सूचकांक से जोड़ने का संबंध है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि बचत बैंक खाते पर व्याज दरों को 25 अक्टूबर, 2011 से नियंत्रणमुक्त किया जा चुका है तथा डीबीआर डीआईआर सं. 84/13.03.00/2015-16 के माध्यम से 3 मार्च को जारी मास्टर निदेश – भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर व्याज दर) निदेश 2016 में मौजूद शर्तों के अधीन रहते हुए बैंकों को जमा बैंक खातों पर व्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। जहां तक वरिष्ठ नागरिकों की सावधि जमा पर व्याज की सामान्य दर से एक प्रतिशत अधिक व्याज की पेशकश करने के सुझाव का संबंध में, यह कहा जा सकता है कि 22 अक्टूबर, 1997 से वाणिज्यिक बैंकों को 3 मार्च, 2016 की उपरोक्त मास्टर निदेश (एमडी) में निहित निर्देशों के अधीन अपने संबंधित निदेशक मंडल की पूर्व अनुमोदन के साथ विभिन्न परिपक्वता की घरेलू सावधि जमा पर अपनी व्याज दरों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस एमडी की धारा 8 (बी) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से सावधि जमा योजनाएं तैयार करने का विकल्प होता है, जो किसी भी आकार के सामान्य जमा की तुलना में व्याज की उच्च और निश्चित दरों को आफर करते हैं। उपर्युक्त को देखते हुए, सावधि जमा के लिए वरिष्ठ नागरिकों को उच्च व्याज देने का निर्णय अलग-अलग बैंकों के क्षेत्र के भीतर है। जहां तक वरिष्ठ नागरिकों का संबंध है, सरकार द्वारा 60 वर्ष तथा इससे अधिक के लोगों की अनिश्चित बाजार स्थिति के कारण व्याज आय में भविष्य में गिरावट से सुरक्षा तथा वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' नामक योजना शुरू की गई है। इसे भारतीय जीवन बीमा निगम लि. के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना 10 वर्षों के लिए मासिक आधार पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के सुनिश्चित प्रतिलाभ की व्यवस्था करती है। विभेदी प्रतिलाभ अर्थात् एलआरटी द्वारा सृजित प्रतिलाभ तथा 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के सुनिश्चित प्रतिलाभ के बीच के अंतर का सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा। यह योजना एक वर्ष की अवधि अर्थात् 4 मई, 2017 से 3 मई, 2018 तक अभिदान के लिए खुली थी। इस योजना के अंतर्गत 1,000	जी, हां।	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			रुपए प्रति माह के न्यूनतम पेंशन के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य 1.5 लाख प्रति परिवार था जबकि 5,000 रुपए प्रति माह के अधिकतम पेंशन के लिए अधिकतम खरीद मूल्य 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार था। बजट घोषणा 2018-19 के अनुसरण में 02 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2020 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को अनुमोदित किया है तथा 7.5 लाख प्रति परिवार की अधिकतम खरीद मूल्य की सीमा को भी 15 लाख रुपए प्रति वरिष्ठ नागरिक तक बढ़ाया गया है। दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार पीएमवीवीवाई योजना के अंतर्गत 17,704.65 करोड़ रुपए के कार्पस से संघटित कुल 2,82,155 अभिदाता लाभान्वित हो रहे हैं।		
13	13	इस संदर्भ में समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि छोटे बचतकर्ताओं को इक्विटी की ओर आकर्षित करने की बजाए सरकार को आर्थिक विकास हेतु घरेलू बचत के उपयोग के लिए बांड के मार्ग को तलाशना चाहिए। इस प्रकार पीएसयू को अपनी बड़ी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुदरा बांड इश्यु का विकल्प चुनने की अनुमति होनी चाहिए तथा उसे इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार और आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियों हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में सीधी खुदरा भागीदारी को भी बढ़ावा देना चाहिए। आदर्शतः खुदरा निवेशक पब्लिक इश्यु हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोली लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन में समर्थ होने चाहिए। ऐसी सुविधा खुदरा निवेशकों को शेयर बाजार से संबद्ध खतरों के बिना तर्कसंगत प्रतिफल प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित चैनल मुहैया करवाएगी।	(बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग) हालांकि यह सुझाव सराहनीय है, यह पाया गया है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार को सुदृढ़ करने के लिए पहले से ही कई तरह के उपाय किए गए हैं। ऐसे कुछ उपायों की सूची नीचे दी गई है:- - प्राथमिक डीलरों को खुदरा बाजार कार्यकलापों के जरिए अपने कुल कारोबार के कम से कम 5% के लक्ष्य को हासिल करना अनिवार्य किया गया है। - खुदरा निवेशक इंटरनेट आधारित एनडीएस-ओएम-वेब अनुप्रयोग के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे कारोबार कर सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर, वे ई-मेल/पत्र/फैक्स आदि के जरिए बैंकों/पीडी के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अपनी मांग रख सकते हैं। - सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली (खुदरा भागीदारी मार्ग) का पहले से ही प्रावधान है जहां छोटे खुदरा ग्राहकों के लिए कम से कम 5% अधिसूचित राशि आरक्षित है और उन्हें भारित औसत मूल्य पर प्रतिभूतियां आवंटित की जाती हैं ताकि बड़े व्यावसायियों द्वारा आक्रामक कट-ऑफ दरों से उन्हें सुरक्षा दी जा सके। - सामूहिक के रूप में, स्टॉक एक्सचेंज एग्रीगेटर के रूप में कार्य करते हैं और खुदरा निवेशकों की ओर से समेकित बोली प्रस्तुत करते हैं। - भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूति बाजार विशेष रूप से छोटे और खुदरा ग्राहकों के लक्षित बाजार के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करवाता है। - प्राथमिक डीलरों, बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनकी शाखा नेटवर्क के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों पर बल देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।	स्वीकृत	-

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

		vii. अधिकांश प्राथमिक डीलर नियमित रूप से कैम्प लगाकर ग्राहकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में बताते हैं। viii. कई बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा ग्राहकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए पहले/शुरूआती वर्षों में सामान्यता निःशुल्क/बहुत ही रियायती दरों पर डीमेट/गिल्ट खाता सुविधा की पेशकश करते हैं। ix. आईडीबीआई बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा बाजार निवेशकों के लिए 'सुविधा' नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। x. पीडी को सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार निर्माण करने के लिए अधिदेशित किया गया है ताकि सरकारी प्रतिभूतियों में दो तरह की दरों की उपलब्धता (क्रय के साथ-साथ विक्रय) सुनिश्चित की जा सके जिससे कि हितबद्ध खुदरा ग्राहकों के लिए अपनी क्रय अथवा विक्रय की आवश्यकताओं के लिए द्वितीयक बाजार तैयार हो। बाजार प्रतिभागी यह सुझाव दे रहे हैं कि खुदरा बाजार भागीदारी को बढ़ाने के लिए करावकाश दिए जाएं और यही बात हाल ही में मार्च 2018 में आयोजित बैठक में प्राथमिक डीलरों द्वारा दुहराई गई थी। तथापि, यह महसूस किया गया कि इस मांग को स्वीकार करने से बाजार के विकृत होने की संभावना होगी। इसके अलावा, यह उल्लेख है कि बाजार प्रतिभागियों द्वारा की गई यह मांग अब तक स्वीकार नहीं की गई है। प्रसंगवश यह उल्लेख है कि वित्त वर्ष 2018-19 के हाल ही में पारित केन्द्रीय बजट में भारत सरकार ने इक्विटी बाजार में धारिता के लिए दीर्घावधिक पूंजी लाभ का प्रावधान किया है जिन्हें पहले छूट दी गई थी। उपर्युक्त को देखते हुए, इस बात पर विचार किया जा सकता है कि क्या सरकारी प्रतिभूति बाजारों में खुदरा भागीदारी को और बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता है। (एफएम प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार विनियामकों के समन्वय से भारत में निगमित बांड बाजार विकसित करने के सम्मिलित उपाय कर रही है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् की उप-समिति ने 10 सितम्बर, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप-गवर्नर [श्री एच.आर. खान] की अध्यक्षता में सरकार और अन्य विनियामकों के प्रतिनिधियों वाला एक कार्य समूह गठित किया ताकि भारत में निगमित बांड बाजार के सुदृढीकरण के उपायों के बारे में अध्ययन कर उनके संबंध में सुझाव दिए जा सकें। निगमित बांड बाजार के विकास विषयक कार्य समूह ने अनेक अनुशंसाएं की हैं जिनमें से अधिकांश पर अमल किया जा चुका है।	स्वीकृत	-
--	--	---	---------	---

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

		इनमें निगमित बैंड निर्गम का मानकीकरण करना; असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआईज) द्वारा निवेश की अनुमति देना और 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक की राशि को ऋण प्रतिभूतियों के निजी नियोजन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बही तंत्र के जरिए अनिवार्य करना; निगमित बांड के लिए व्यापार संग्राहक को कार्यान्वित करना; बाजार निर्माताओं को निगमित ऋण प्रतिभूतियों में रेपो/रिवर्स रेपो संविदाएं प्रारंभ करने के लिए अनुज्ञा देना; बेसल III अनुपालक बेमियादी बांडों में और "अतिरिक्त श्रेणी I (बेसल III अनुपालक) बेमियादी बांडों" में निवेश की अनुमति देना; बैंकिंग तंत्र से सकल ऋण सीमा को बढ़ाकर बांडों की क्रेडिट अभिवृद्धि को बांड निर्गम परिमाण का 50% तक करना; निगमित बांडों में बाजार निर्माण की संरचना करना; निगमित बांड इंडेक्स को, स्टॉक एक्सचेंजों के समाशोधन केंद्रों द्वारा सीसीपी का समाशोधन करने के अध्यक्षीन, व्यापार के लिए ऋण प्रतिभूतियों/निधियों की डिलीवरी में चूक के लिए लागू शास्ति संरचना की समीक्षा करते हुए, प्रवर्तित करना; ऋण प्रतिभूतियों के समेकन और पुनः निर्गमन और उन पर आईएसआईएन प्रतिबंध से जुड़े उपबंध करना; आंशिक क्रेडिट संवर्धन (पीसीई) के कारण बैंकों के लिए पूंजी अपेक्षा में कमी लाना, आदि शामिल हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण 2016-17 में सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी में सुधार लाने के लिए यह घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक स्टॉक एक्सचेंजों और एनडीएस-ओएम व्यापार प्लेटफार्म तक पहुंच के जरिए प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में उनकी भागीदारी को सुकर बनाए। इसे कार्यान्वित करने के लिए, समूहकर्ताओं/सुविधाप्रदाताओं के रूप में कार्यरत विनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए प्राथमिक नीलामी में खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23.11.2017 के परिपत्र के तहत गैर-प्रतिस्पर्धी बोली लगाने की सुविधा की अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार, इस सुविधा को प्रदान करने के इच्छुक स्टॉक एक्सचेंज, सेबी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करने के पश्चात इस संबंध में विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसई और बीएसई को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 28.07.2016 के परिपत्र के तहत द्वितीयक बाजार में खुदरा भागीदारी को सुकर बना दिया गया है। इसके अलावा, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण 2018-19 में यह घोषणा की है कि सरकार ने 14,500 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के लिए एक्सचेंज ट्रेडिड फंड भारत-22 प्रारंभ किया था, जिसे सभी वर्गों में आशातीत अभिदान प्राप्त हुआ था। निवेश एवं लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ऋण ईटीएफ सहित और अधिक ईटीएफ प्रस्ताव लेकर आएगा।		
--	--	--	--	--

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

			दीपम ने दिनांक 23.07.2018 के अपने कार्यालय ज्ञापन के तहत यह सूचित किया है कि भारत-22 ईटीएफ की नई निधि पेशकश (एनएफओ) की सफल शुरुआत के बाद, भारत सरकार ने 20.06.2018 और 22.06.2018 के बीच अगली निधि पेशकश प्रारंभ की थी और 8,325.26 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की थी। जहां तक ऋण ईटीएफ का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि दिपाम ऋण ईटीएफ के सृजन और संचालन की संभावना का पता लगा रहा है। इस संबंध में, "माननीय वित्त मंत्री ने ऋण ईटीएफ के सृजन, संचालन और कार्यान्वयन के लिए एक सलाहकार, एक बाजार निर्माता और एक कानूनी सलाहकार की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। अंतरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने 13.07.2018 को आयोजित अपनी बैठक में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए ऋण ईटीएफ के सृजन और संचालन हेतु एक सलाहकार का नाम अनुमोदित और अनुशंसित कर दिया है"। सलाहकार की नियुक्ति के पश्चात, आईएमजी के अनुमोदन से बाजार निर्माता और कानूनी सलाहकार हेतु आरएफपी प्रस्तुत करने के लिए सलाहकार से परामर्श करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।		
14	14	समिति नोट करती है की आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय/विभाग हेतु निष्पादन बजट को पृथक रूप से संसद को प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, पिछली वर्ष और इस वर्ष, निष्पादन बजट को आम बजट के साथ एक समेकित तरीके से एक एकल दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रत्येक मंत्रालय/विभाग हेतु इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के असपष्ट होने में परिणत हुआ है जिसमें विभिन्न योजना/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वर्ष-वार प्रगति को दर्शाने वाला आवश्यक ब्यौरा नहीं दिया गया है। यह पिछले तीन वर्षों हेतु व्यय की गई/प्रयुक्त/अप्रयुक्त राशि आदि के निष्पादन, लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की वर्ष-वार तुलनाएं भी नहीं दर्शाता है। यह केवल योजना का नाम, निर्दिष्ट निधियों, प्रयोजन और अगले वर्ष हेतु प्रक्षेपणों को दर्शाता है। तथापि, किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु पिछले वर्ष व्यय की गई राशि उस प्रयोजन हेतु की गई या नहीं और उद्देश्य की वास्तविक प्राप्ति को नहीं दर्शाया गया है। अतः समिति पाती है कि इस प्रकार प्रस्तुत निष्पादन बजट न तो वांछित उद्देश्य को पूरा करता है और न ही जहां तक सरकार के निष्पादन का संबंध है, पारदर्शी है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग हेतु पृथक रूप से निष्पादन बजट और साथ में संबंधित विस्तृत अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करने के पहले की परंपरा को बहाल किया जाए ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की एक बेहतर समझ प्राप्त हो सके।	(व्यय विभाग) वर्ष 2017-18 के बजट से अवसंरचनात्मक सुधार के एक उपाय के रूप में ये परिव्यय, निर्गम और परिणाम परिमेय रूप में संसद में पेश किए जा रहे हैं, जिससे सरकारी स्कीमों और परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल एजेंसियों की अधिकाधिक जवाबदेही हो सके। बजट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया परिणाम बजट का एकल दस्तावेज समेकित दस्तावेज सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें तात्कालिक वर्ष के निर्गम और परिणाम और मध्यावधि के लिए वित्तीय परिव्यय शामिल हैं। नीति आयोग पहले ही व्यय विभाग और अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके संकेतकों की विस्तृत निर्गम और परिणाम रूपरेखा पर कार्य कर रहा है जिससे सतत् आधार पर स्कीमों के निर्गम/परिणामों की निगरानी की जा सकेगी।	सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई क्योंकि यह अवसंरचनात्मक सुधार निर्गमों और परिणामों के संदर्भ में सभी स्कीमों के बीच संयोजित समाभिरूपता के साथ परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाए जाने के लिए है और इससे निर्गमों एवं उत्पादनों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है।	यह एक सतत् कार्यकलाप है। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्गम-परिणाम रूपरेखा में सुधार किया जाएगा।

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6

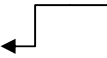
15	15	समिति 115 पिछड़े जिलों के प्रस्तावित माडल के दृष्टिगत चाहती है कि उसे इस विकास माडल/पैरामीटरों और देश के चिन्हित 115 पिछड़े जिलों के वित्त पोषण के तरीकों के साथ-साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के ब्यौरों से अवगत कराया जाए।	(व्यय विभाग) सरकार केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के प्रयासों की समाभिरूपता सुनिश्चित करते हुए एक केन्द्रित दृष्टिकोण अपना रही है जिसमें नवाचार और इन जिलों में जनसाधारण के लिए महत्व रखने वाले परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए तत्क्षण निगरानी व्यवस्था का स्थापित किया जाना शामिल है। अपनाई गई मूल रणनीति में प्रमाण आधारित निर्णय लेना और जिलों में प्रतिस्पर्धा, विकास को एक जन आन्दोलन बनाते हुए नकारात्मकता का निवारण करना, जिला और क्षेत्रीय स्तर पर परिवर्तन के प्रणेताओं की पहचान करना और विकास को एक जन आंदोलन बनाने में उनकी सहायता करना और केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए कार्यों की समाभिरूपता शामिल हैं। यह कार्यक्रम 49 मुख्य निष्पादन संकेतकों और पहचान योग्य 81 डाटा बिंदुओं के साथ पांच मुख्य विषयों पर केन्द्रित है। ये हैं 30% भार और 31 डाटा बिंदुओं के साथ स्वास्थ्य एवं पोषण, 30% भार और 14 डाटा बिंदुओं के साथ शिक्षा, 20% भार और 12 डाटा बिंदुओं के साथ कृषि एवं जल संसाधन, 10% भार और 18 डाटा बिंदुओं के साथ वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा 10% भार और 6 डाटा बिंदुओं के साथ मौलिक अवसंरचना। इन पांच विषयों में उपलब्धियों के आधार पर अभिलाषी जिलों का क्रम तैयार किया जा रहा है। जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा पर निगरानी रखने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है जो जिलों को सक्रिय रूप से एक क्रम प्रदान करेगा और जिलों के सक्रिय दलों के बीच प्रतियोगिता की भावना प्रेरित करने के लिए माह-दर-माह आधार पर किए गए वृद्धि संबंधी (डेल्टा) सुधारों को दर्शाएगा। इस कार्यक्रम में अन्य पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण भी शामिल है क्योंकि निर्गमों और प्रमाणीकरण एजेंसियों और जिलों को क्रम के आधार पर प्रोत्साहन देने के मद्देनजर अन्य पक्ष के प्रमाणीकरण, डाटा प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। नीति आयोग श्रेणीबद्ध आधार पर प्रदान किए गए क्रम के आधार पर असंबद्ध धनराशि के रूप में इन जिलों को बराबर का अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने के लिए एक रणनीति तैयार कर रहा है।	जी हां, सरकार इस विकास माँडल का ब्यौरा और वित्तपोषण की विधि की जानकारी स्थायी वित्त समिति को देगी।	अभिलाषी जिलों का विकास, एक केन्द्रित दृष्टिकोण और विभिन्न योजनाओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच समाभिरूपता और सहक्रिया स्थापित करने और प्राप्त निर्गमों और परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक तत्क्षण निगरानी व्यवस्था स्थापित करने पर आधारित है।
----	----	--	---	---	--

तालिका 1: प्रायोगिक व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक (बीएसपीआई) की अद्यतन स्थिति

क्रम संख्या	सेक्टर	अद्यतन स्थिति
1.	हवाई परिवहन सेवा	2010-11 को आधार वर्ष मानकर यात्री एवं माल ढुलाई सेवाओं के संबंध में प्रायोगिक हवाई सेवा मूल्य सूचकांक (एएसपीआई) का संकलन अप्रैल 2011 से मार्च 2016 तक की अवधि के संबंध में किया गया था। 2015-16 को संशोधित आधार वर्ष मानकर यात्री एवं माल ढुलाई सेवाओं के संबंध में प्रायोगिक हवाई सेवा मूल्य सूचकांक (एएसपीआई) का परिकलन किया गया है तथा अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक की अवधि से संबंधित आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं।
2.	रेल सेवा	2004-05 को आधार वर्ष मानकर प्रायोगिक रेल सेवा मूल्य सूचकांक (आरएसपीआई) का संकलन अप्रैल 2005 से जून 2017 तक की अवधि के संबंध में किया गया था। - बाद में 2011-12 को नया आधार वर्ष मानकर प्रायोगिक रेल सेवा मूल्य सूचकांक (आरएसपीआई) का संकलन अप्रैल 2012 से फरवरी 2017 तक की अवधि के संबंध में किया गया तथा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय (ओईए) की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। - रेल बोर्ड, रेल मंत्रालय प्रायोगिक रेल सेवा मूल्य सूचकांक (आरएसपीआई) को अद्यतन करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
3.	डाक	2004-05 को आधार वर्ष मानकर प्रायोगिक डाक सेवा मूल्य सूचकांक (पीएसपीआई) का संकलन अप्रैल 2005 से जून 2017 तक की अवधि के संबंध में किया गया तथा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय (ओईए) की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। - डाक विभाग सूचकांक के आधार वर्ष को अद्यतन करने तथा संबंधित सूचकांक में कुछ नई मदों तथा भारांश आरेख को शामिल करने की दिशा में कार्यवाई कर रहा है।
4.	बैंकिंग सेवा	- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 2004-05 को आधार वर्ष मानकर अप्रैल-2005 से मई 2017 तक की अवधि के संबंध में बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक (बीकेएसपीआई) का संकलन किया है। - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2011-12 को नया आधार वर्ष मानकर नई मदों तथा भारांश आरेख को शामिल करते हुए नए बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक का संकलन कर रहा है।
5.	टेलीकॉम (सेल्युलर)	2009-10 को आधार वर्ष मानकर प्रायोगिक दूरसंचार सेवा मूल्य सूचकांक का जून 2010 को समाप्त तिमाही से लेकर दिसंबर 2016 तक समाप्त तिमाही की बीच की अवधि के संबंध में संकलन किया गया है। - इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सूचकांक को संशोधित किया जा रहा है। 2015-16 को आधार वर्ष मानकर वस्तुओं एवं सूचकांक के भारांश आरेख को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के साथ परामर्श करके संशोधित किया जा रहा है।
6.	बीमा सेवा	2011-12 के आधार वर्ष पर, जून 2012 की तिमाही से सितंबर 2016 तक की तिमाही के लिए एक प्रायोगिक बीमा सेवा मूल्य सूचकांक तैयार किया गया है। - सूचकांक अनुमानों में अधिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए सूचकांक को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, वित्तीय सेवाएं विभाग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ परामर्श करके संशोधित किया जा रहा है।
7.	व्यापार सेवा	- वर्ष 2011 को आधार वर्ष मानकर कारपोरेट मामले मंत्रालय के एमसीए-21 के आंकड़ों का प्रयोग करके 2010 से 2015 की अवधि के लिए प्रायोगिक व्यापार सेवा मूल्य सूचकांक तैयार किया गया है। - आंकड़ों की अत्यधिक अस्थिर प्रकृति होने के कारण, सूचकांक तैयार करने के लिए जीएसटीएन आंकड़ों को प्रयोग करने की विधि को खोजा जा रहा है।
8.	सड़क परिवहन (माल)	इस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के असंगठित और खंडित स्वरूप को देखते हुए, यह प्रस्ताव किया गया है कि एक बार जीएसटीएन आंकड़े स्थिर होने पर प्रायोगिक सूचकांक तैयार करने के लिए माल एवं सेवा कर नेटवर्क से आंकड़ों का प्रयोग किया जाए।
9.	पत्तन सेवा	पोत परिवहन मंत्रालय 12 मुख्य पत्तनों और 19 गैर-प्रमुख पत्तनों के आंकड़ों से प्रायोगिक पत्तन सेवा मूल्य सूचकांक विकसित कर रहा है।
10.	कारोबार सेवाएं	यह प्रस्ताव किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके अधीनस्थ संगठनों के साथ परामर्श करके प्रायोगिक सूचना प्रौद्योगिकी सेवा मूल्य सूचकांक विकसित किया जाए।

Statement showing Action Taken on the Recommendations/Observations contained in the 57th Report of the Standing Committee on Finance

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)															
1	2	3	4	5	6															
1.	01	The Committee note that under Major Head (MH): 2235 (Social Security & welfare) Demand no. 29 (Department of Economic Affairs), the actual expenditure for 2014-15 was Rs 1107.00 crore against the Budget allocation of Rs 1607.02 crore; for 2016-17 and 2017-18 also there was 'nil' expenditure (actuals) against allocation of Rs 8.53 crore and Rs 0.3 crore respectively. In MH: 3465 (General Financial and Trading Institutions) Demand No. 29 (Department of Economic Affairs), the actual expenditure in 2016-17 and 2017-18 were Rs 15.00 crore and Rs 17.36 crore respectively against the budget estimates/allocation of Rs. 4000.00 crore and RS 1200.00 crore for the respective fiscals (i.e. 2016-17 and 2017-18), registering gross under utilization of Rs 3985.00 crore and Rs 1182.64 crore for 2016-17 and 2017-18 respectively. The reasons put forth by the Ministry do not really explain or justify such huge mismatch between the Budget estimates and the actual expenditure in the above mentioned cases. Though the Committee concur with the view that sometimes there can be slight variations between the Budget Estimates (BE) and the Actuals (Expenditure), they cannot comprehend 'nil' expenditure against an outlay of crores of rupees, or Rs. 15.00 crores expenditure against an outlay of Rs. 4000.00 crore (Shortfall of Rs. 3985.00 crore) which they believe, is beyond the ambit of any financial norms or practice. The Committee are of the	(Budget Division, Department of Economic Affairs) MH: 2235 - Social Security & welfare (Social Security Network and Protected Saving Scheme) <table><thead><tr><th></th><th>Budget Estimate</th><th>Actual Expenditure</th></tr></thead><tbody><tr><td>2014-15</td><td>1607.02</td><td>1107.00</td></tr><tr><td>2015-16</td><td>2607.02</td><td>--</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>8.53</td><td>--</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>0.03</td><td>--</td></tr></tbody></table> 1. At the outset, it is submitted that the items to which the savings are indicated mainly pertain to the transactions of 'Transfer to Public Account Funds'. Two broad principles are indicated in this regard: a) It is the endeavour of the Government to minimise idle parking of resources in the Public account. b) Funds are administered by respective administrative Ministries and Departments and the Budget provisions related to the 'transfer to the fund' and the utilisations for earmarked schemes are made in the respective Demands. The year wise explanations are given below: During 2014-15, the BE provision of Rs. 1607.00 crore was reduced to Rs. 1107.00 crore at RE stage keeping in view the available balances in the Fund and no requirement of further transfer to the Fund during 2014-15. During 2015-16, the BE provision of Rs. 2607.00 crore has been reduced to Nil at RE 2015-16 keeping in view the available		Budget Estimate	Actual Expenditure	2014-15	1607.02	1107.00	2015-16	2607.02	--	2016-17	8.53	--	2017-18	0.03	--	Accepted	-
	Budget Estimate	Actual Expenditure																		
2014-15	1607.02	1107.00																		
2015-16	2607.02	--																		
2016-17	8.53	--																		
2017-18	0.03	--																		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)												
1	2	3	4	5	6												
		opinion that due diligence and seriousness and a sense of proportion while undertaking the budgetary exercise, could easily have pre-empted such gross underutilisation. The Committee would thus expect the Ministry of Finance being the nodal Ministry of the Government, to observe elementary financial norms and maintain fiscal prudence while making budgetary allocations in future.	balances in the Fund and no requirement of further transfer to the Fund during 2015-16. During 2016-17, savings was due to transfer of schemes to other Departments and winding up of National Social Security Fund (NSSF). As the direct budget provision to finance the scheme through the NSSF, the Budget provision under this head was kept only for Rs. 8.50 crore for seed capital infusion for Social Security Network and Rs. 0.03 crore for Protected Savings Scheme. The expenditure under this head is ‘nil’ till date due to non finalization of programmes under Social Security Network and due to non-payment towards Protected Savings Schemes. During 2017-18, the BE provision of Rs. 0.03 crore has been reduced to Rs. 0.02 crore at RE 2017-18 keeping in view the available balances in the Fund and no requirement of further transfer to the Fund during 2017-18. MH: 3465 - General Financial and Trading Institutions (Reimbursement of MDR Charges and National Investment and Infrastructure Fund Limited) <table><tr><td></td><td>Budget Estimates</td><td>Actual Expenditure</td><td>Savings</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>4000.00</td><td>15.00</td><td>3985.00</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>1200.00</td><td>17.36</td><td>1182.64</td></tr></table> MDR (200) ←  NIIF (1000) A lumpsum provision was made available to honour the claims of agency banks for re-imbursement of Merchant Discount Rate (MDR) charges on Government payments (applicable to tax, Non tax and other payments) made by citizens using debit cards. The first such claim falls due at the earliest in the first quarter of the 2017-18 and accordingly, a provision of Rs. 200 crore was made for FY 2017-18, however, no such claim has been received for payment from Government’s Account. (Investment Division, Department of Economic Affairs) Department agrees with the observation made by the Committee. However, the reasons for under-utilization of funds are as under:- National Investment and Infrastructure Fund ("NIIF") was		Budget Estimates	Actual Expenditure	Savings	2016-17	4000.00	15.00	3985.00	2017-18	1200.00	17.36	1182.64	Accepted	-
	Budget Estimates	Actual Expenditure	Savings														
2016-17	4000.00	15.00	3985.00														
2017-18	1200.00	17.36	1182.64														

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			established in August 2015 with an objective to catalyze international and domestic commercial capital to invest in commercially viable infrastructure projects, both Greenfield and Brownfield. Among the first steps to operationalize NIIF were to recruit a strong team of experts, set up its governance structures and to raise capital from non-government investors prior to making investments. Negotiations with various investors, such as Sovereign Wealth Funds and International Pension Funds were at the initial stage during FY 16-17 and no investment agreement could be executed during the said FY, resulting in under-utilization of the funds allotted. Corrective measures were taken and BE was reduced to Rs. 1000 crore in FY 2017-18 to ensure better utilization based on expected capital-raising from some key investors and the availability of appropriate investment opportunities for NIIF. <i>(Rs. 1200 crore were earmarked under Major Head 3465 out of which Rs. 1000 crore were allotted for NIIF and Rs. 200 crore were allotted for Payment to RBI towards MDR reimbursement)</i> It is pertinent to state that NIIF Limited signed its first fund-raising agreement with a wholly owned subsidiary of ADIA and six Domestic Institutional Investors (DIIs) in October 2017. As NIIF has built up its team, governance structure and investment strategies, negotiations with several key investors to invest in NIIF are now at an advanced stage. NIIF made its first investment by partnering with DP World to create a JV Company to investment in port and logistics sector. Fund of Rs. 342.73 crore were utilized during the FY 2017-18. It should also be noted that in order to ensure commercial viability of its investments, NIIF is unable to predict the exact timing of its investments and must take into account other factors in addition to timing its investment strategy. Hence, while it is important to ensure there is enough allocation of funds to NIIF to call, it is also important to provide flexibility to NIIF with respect to timing of utilization of the allocation such that it is able to ensure that its primary objective of commercial viability is paramount. However, utmost care will be kept while raising requisition for funds for NIIF in future.		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)																				
1	2	3	4	5	6																				
2.	02	The Committee further find it pertinent to note instances of erratic allocation of Budget under MH: 5475, Demand no. 29 - <i>Capital outlay on other General Economic Services (Viability Gap Funding)</i> that Rs 623.50 crore were utilized in 2015-16 against the allocation/estimate of Rs 252.00 crore; in 2016-17, Rs. 132.26 crores was utilized against the budget outlay of Rs. 252.00 crores; and in 2017-18 only Rs 49.41 crore was utilized against the allocation of Rs 3102.00 crore at BE. The Committee note that in 2015-16 the actual expenditure more than doubled the BEs whereas in 2017-18, there is a shortfall to the tune of Rs. 3052.59 crore in utilisation under MH 5475. Again, under MH: 2250- Demand No. 29- <i>Other Social Services</i>, Rs 389.16 crore was spent in 2016-17, and in 2017-18, Rs 64.43 crore was spent whereas there was 'nil' Budget allocation for both the fiscals under the same Head. The Committee are perturbed that the Ministry of Finance, which is the nodal Ministry for formulation and budgetary allocation for the entire Government did not seem to follow financial discipline while making allocations for the aforementioned Major Head of Accounts. The Committee would expect the Ministry of Finance to refrain from such erratic instances of allocations in their budgetary exercise as a whole. Further, the Committee find that some of the flagship Schemes of the Government like Swachh Bharat Abhiyan, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Sarva Shiksha Abhiyan, MNREGA etc. are also not well funded in the Budget, which may leave these well thought out Schemes in a limbo. The Committee would thus recommend that all these flagship Schemes should be	(IPF Division, Department of Economic Affairs) 1) In this regard it has been observed that : i. Recommendation no. 2 states that Rs. 623.50 crore was utilized against the allocation/estimate of Rs. 252 crore in Financial Year 2015-16. However in the Financial Year 2015-16 the Budget Estimate of Rs. 412.50 crore was made with respect to VGF under Major Head 5475 which was increased up to Rs. 1043.50 crore at the stage of Revised Estimate. ii. Actual expenditure in the Financial Year 2017-18 under Major Head 5475 is Rs. 56.32 crore which is mentioned as Rs. 49.41 crore in the recommendation. 2) Details with respect to the VGF and IIPDF for the last 3 Financial Years under Major Head 5475 is as follows: <table><tr><th>Financial Year</th><th>Budget Estimate</th><th>Revised Estimate</th><th>Actual Expenditure</th><th>Savings (Budget Estimate - Actual Expenditure)</th></tr><tr><td>2015-16</td><td>Rs.412.50 crore</td><td>Rs.1043.50 crore</td><td>Rs. 1043.50 crore (623.50 crore under Major Head 5475 and Rs. 420 crore under Major Head 3475)</td><td>(-) 631 crore (Revised Estimate was Rs. 1043.50 crore - Budget Estimate of Rs. 412.50 crore).</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>Rs.250 crore</td><td>Rs. 200 crore</td><td>Rs. 132.26 crore</td><td>Rs. 117.74 crore</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>Rs. 100 crore</td><td>Rs. 56.32 crore</td><td>Rs. 56.32 crore</td><td>Rs. 43.68 crore</td></tr></table>	Financial Year	Budget Estimate	Revised Estimate	Actual Expenditure	Savings (Budget Estimate - Actual Expenditure)	2015-16	Rs.412.50 crore	Rs.1043.50 crore	Rs. 1043.50 crore (623.50 crore under Major Head 5475 and Rs. 420 crore under Major Head 3475)	(-) 631 crore (Revised Estimate was Rs. 1043.50 crore - Budget Estimate of Rs. 412.50 crore).	2016-17	Rs.250 crore	Rs. 200 crore	Rs. 132.26 crore	Rs. 117.74 crore	2017-18	Rs. 100 crore	Rs. 56.32 crore	Rs. 56.32 crore	Rs. 43.68 crore	Recommendation is partially accepted in view of the remarks in Column 6	Few figures appear to be incorrect in the Recommendation on such as Budget Estimate for FY 2015-16 (Rs 252 crore) and Actual Expenditure for FY 2017-18 (Rs 49.41crore) Budget Estimate of Rs 412.50 crore was allocated under Major Head 5475 for VGF Scheme in the FY 2015-16 which was increased to Rs 1043.50 crore at the stage of Revised Estimates. Further, actual expenditure under Major Head 5475 in the FY 2017-18 has been Rs.
Financial Year	Budget Estimate	Revised Estimate	Actual Expenditure	Savings (Budget Estimate - Actual Expenditure)																					
2015-16	Rs.412.50 crore	Rs.1043.50 crore	Rs. 1043.50 crore (623.50 crore under Major Head 5475 and Rs. 420 crore under Major Head 3475)	(-) 631 crore (Revised Estimate was Rs. 1043.50 crore - Budget Estimate of Rs. 412.50 crore).																					
2016-17	Rs.250 crore	Rs. 200 crore	Rs. 132.26 crore	Rs. 117.74 crore																					
2017-18	Rs. 100 crore	Rs. 56.32 crore	Rs. 56.32 crore	Rs. 43.68 crore																					

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government					Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)																				
1	2	3	4					5	6																				
		adequately provided for and nurtured systematically and implemented vigorously so that the desired objectives are fully achieved and do not become an ad-hoc or piecemeal exercise. An illustrative case in point would be the announcement that Rs. 17,000 crore would be spent on suburban railway system in Bengaluru. However, in the Budget, the Committee find that there is only a token provision to prepare the Detailed Project Report (DPR). This is the position not only for this scheme but also for many of the schemes which are announced in the Budget. If the State government is involved in the funding, the same has not been mentioned in the Budget. The Committee would like to be apprised about the status of all such major projects/schemes announced in successive Budgets. In the absence of Central budgetary support, the States may be much more laid back and not take any initiative. The Committee would thus urge the government to provide matching/corresponding budgetary allocations whenever flagship schemes are announced.	India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) under Major Head 5475 <table><tr><th>Financial Year</th><th>Budget Estimate</th><th>Revised Estimate</th><th>Actual Expenditure</th><th>Savings (Budget Estimate-Actual Expenditure)</th></tr><tr><td>2015-16</td><td>Rs. 2 crore</td><td>Rs. 2 crore</td><td>Nil</td><td>Rs. 2 crore</td></tr><tr><td>2016-17</td><td>Rs. 2 crore</td><td>Rs. 2 crore</td><td>Nil</td><td>Rs. 2 crore</td></tr><tr><td>2017-18</td><td>Rs. 2 crore</td><td>Rs. 2 crore</td><td>Nil</td><td>Rs. 2 crore</td></tr></table> 3) It may also be noted that for the Financial Year 2017-18 out of the allocation of Rs. 3102 crore, amount of Rs. 100 crore belongs to Assistance for Infrastructure Development Fund (VGF) and Rs. 2 crore belongs to IIPDF. Remaining amount of Rs. 3000 crore does not belong to either VGF or IIPDF. Further, recommendation mentions about the Major Head 2250 as well. No expenditure with respect to VGF or IIPDF has been booked under the Major Head 2250. 4) In the Financial Year 2015-16, Budget Estimate (BE) of Rs. 412.50 crore was made for the Viability Gap Funding (VGF) which was increased to Rs. 1043.50 crore at the Revised Estimate (RE) Stage. The substantive increase in Budget Estimate during this year occurred due to the VGF expectation for Hyderabad Metro Rail (HMR) Project (Rs. 661.23 crore was disbursed for the HMR in Financial Year 2015-16).The Actual Expenditure for the Financial Year 2015-16 was Rs. 1043.50 crore. Therefore there was no saving with respect to VGF in the Financial Year 2015-16. 5) With respect to the saving of VGF in the Financial Year 2016-17 and 2017-18, it may be noted that Budget Estimates for anticipated disbursement of VGF are made on the basis of projects granted ‘in-principle’ and ‘final approval’ keeping in view the funds flow expected to take place during the construction period of the project. All Sponsoring					Financial Year	Budget Estimate	Revised Estimate	Actual Expenditure	Savings (Budget Estimate-Actual Expenditure)	2015-16	Rs. 2 crore	Rs. 2 crore	Nil	Rs. 2 crore	2016-17	Rs. 2 crore	Rs. 2 crore	Nil	Rs. 2 crore	2017-18	Rs. 2 crore	Rs. 2 crore	Nil	Rs. 2 crore		56.32 crore and not Rs 49.41 crore as stated in the recommendation. It may also be noted that Major Head 2250-Demand No. 29- Other Social Services is not applicable to VGF or IIPDF Scheme. Also, against the allocation of BE of Rs 3102.00 crore under Major Head 5475 for FY 2017-18, only Rs 102 crore is applicable to VGF Scheme (Central Sector Projects) and IIPDF out of which Rs 56.32 crore was disbursed. Savings of balance amount is due to receipt of lower
Financial Year	Budget Estimate	Revised Estimate	Actual Expenditure	Savings (Budget Estimate-Actual Expenditure)																									
2015-16	Rs. 2 crore	Rs. 2 crore	Nil	Rs. 2 crore																									
2016-17	Rs. 2 crore	Rs. 2 crore	Nil	Rs. 2 crore																									
2017-18	Rs. 2 crore	Rs. 2 crore	Nil	Rs. 2 crore																									

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			Authorities are requested to send the projected drawdown schedule. However, under the scheme, VGF is to be disbursed only after the concessionaire has expended the full equity contribution for the project. Thereafter, VGF is released in proportion to the debt disbursed by the Lead Financial Institution. Therefore, actual drawdown of VGF cannot be predicted accurately. While formulating BE requirements, it is kept in mind that implementation of the infrastructure projects should not suffer due to shortage of funds. 6) With respect to saving under IIPDF, it may be noted that the assistance from the IIPDF is released to the Sponsoring Authority in accordance with the signed funding agreement. Saving in the last 3 Financial Years was due to non-receipt of applications from Sponsoring Authorities. (Budget Division, Department of Economic Affairs) (a) A lump sum provision of Rs. 3000 crore was made in 2017-18 to fund programmes/schemes in different Departments, including ongoing schemes. It is submitted that the idea behind this lumpsum provision was to keep a cushion for accommodating additional demands, if necessary, for important flagship schemes. It is further submitted that against Rs. 2146735 crore provided in BE 2017-18, the expenditure of the Government in RE 2017-18 is fixed at Rs. 2217750 crore. This entails an additional provision of Rs. 71015 crore during the course of current fiscal. (b) Some of the additional expenditure provided through supplementary demands for grants in the current fiscal include (i) Exhibition-cum-Convention Centre Dwarka (Rs. 500 crore); (ii) payment of differential royalty to State Government (Rs. 6960.42 crore); (iii) Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Rural)-Saubhagya (Rs. 1550 crore) etc. This clearly indicates that the amount of Rs. 3000 crore made in the Demands for Grants of Department of Economic Affairs is deemed to have been utilised on the schemes. It is submitted that it is always the endeavour of MoF to provide sufficient funds to important projects / schemes / programs depending upon the actual requirements on the grant,	Accepted	number of requests from Sponsoring Authorities. Detailed explanation may be seen under para 3 to 6 of column 4. -

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			absorptive capacity, and available resources. The observations of the Hon'ble Committee have been noted for compliance. Efforts shall be made to ensure optimum utilization of budgetary provisions. So far as NS Section (Budget Division), DEA is concerned; required inputs in respect of MH: 2250-Demand No. 29 - Other Social Service, mentioned in Para 2 of Observations / Recommendations, are as under: Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) was established with the mandate of promotion of the welfare of the Senior Citizens. Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal Ministry for administration of the Senior Citizens' Welfare Fund. The fund is allocated, for SCWF, whenever nodal Ministry makes the demand for the same. Accordingly, ₹389.16 crore in 2016-17 and ₹64.43 crore in 2017-18 was transferred into SCWF. Budgetary allocation was made as per proposals received from Ministry of Social Justice and Empowerment for implementation of welfare scheme for Senior Citizens. (Department of Expenditure) A work named <i>“Bengaluru Suburban – Construction of elevated/at grade corridors for augmentation of line capacity”</i> has been included in the Works, Machinery and Rolling Stock Programme of Railways, 2018-19 with a token outlay of Rs. one crore subject to the condition that expenditure on the project will be made only after following due processes/mandatory approvals and sanctions. The estimated cost of the project is approximately Rs. 17,000 cr out of which the Ministry of Railways and Government of Karnataka will bear Rs. 6030.55 crore each and Rs. 5,000 shall be raised from real estate development. Consultancy contract for preparing detailed project report (DPR) for above work has been awarded by the Zonal Railway and is in progress. Once the mandatory approvals/sanctions are obtained, appropriate outlays would be provided within the available resources to progress the work.	Accepted	Adequate budgetary provisions are made once a project is appraised and approved as per the standard procedure laid down.

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
3.	03	The Committee are extremely concerned about the recent fraud detected in the Punjab National Bank, which clearly reflects that a small group of individuals can manipulate such a gigantic Bank and compromise it despite such well laid out norms, guidelines, checks and balances. Allegedly so-called Letters of Undertaking, basically guarantees that helped the particular person, entity and companies to raise credit were issued. It is believed that they did so without making any entries in the bank's books or recording them in the Core Banking System. This raises a serious question about the internal control system of a bank and the regulatory checks and balances including concurrent auditing provided to prevent frauds and the specific role of internal and statutory auditors as well as the government nominees on the Board and the Independent Directors. The regulatory supervisory role of the Board of the bank and the RBI also needs to be looked into. In such a scenario of regulatory failure, the current recapitalisation exercise of banks may end up as throwing 'good money after bad'. In fact, international branches of many other Indian banks, it is believed, as many as 30, including State Bank of India, Union Bank of India, Allahabad Bank, Axis Bank and some foreign banks lent money to a particular entity or many other entities or companies based on these alleged fraudulent guarantees. Although investigation by agencies is under progress, the Committee would like the Department of Financial Services to institute a comprehensive enquiry into the matter, encompassing both human as well as systemic elements including the role of all concerned officials at each level, and	(Department of Financial Services) Upon receipt of intimation from PNB reporting that it had detected fraud in issuance of Letters of Undertaking (LoUs) / Foreign Letters of Credit (FLCs) in its Brady House, Mumbai Branch, which PNB had already reported to the Reserve Bank of India (RBI) and the Central Bureau of Investigation (CBI), the Department of Financial Services took up the matter as follows: (a) RBI was requested to assess the extent of such/similar activity across the banking system, take appropriate supervisory actions to check further wrongdoing and timely action to prevent alienation or disposal of assets by obligators, and consider appropriate corrective/remedial arrangements to prevent recurrence of such incidents. RBI was further requested to apprise whether any lapses in implementation of RBI's instructions have come to its notice, and if so, to share details thereof, along with the particulars of those found responsible for such lapse. (b) All Public Sector Banks (PSBs) were advised to take immediate action as per extant legal/regulatory framework to ensure that such/similar activity is not prevalent in the bank, to ensure that robust systems and procedures are in place for confirming due approvals, necessary applications/documents and entry in the bank systems in respect of all LoUs and SWIFT messages, scrutiny and reconciliation of Nostro accounts, and to take all necessary steps to safeguard against occurrence of such frauds. (c) PNB was requested to fix accountability for the occurrence of the fraud at the earliest and take appropriate action in respect of those with whom accountability rests. 2. In the wake of the fraud in PNB, RBI mandated banks to implement within stipulated deadlines, certain measures for strengthening the SWIFT operating environment in banks and further constituted an Expert Committee to look into, <i>inter alia</i>,	Yes	-

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		furnish their findings to the Committee within a month of the presentation of this Report to Parliament. The Committee feel that for better banking what is required is better reporting, appropriate supervision and proper use of technology for this purpose, besides optimum regulation (not over-regulation). In the context of auditing, claim of one bank should be matched against the other. Further, every SWIFT message sent out should alert the regulator at both times i.e. when Letter of Undertaking (LOU) is originated as well as when its receipts and lending against it are notified to the LOU issuing bank, by simply tagging the regulator. Technology should thus be put to better use. The Committee, however, caution the Ministry to make efforts to bring out regulations to prevent such happenings in future and for taking other corrective measures. A balance has to be ensured to incentivise performance and build confidence of bankers as that determines the quality of banking. The Committee desire that bankers must be empowered and incentivised and a variable component be linked to their ST and LT performance. The Government should also in still confidence of customers and investors in credibility of PSBs and private banks and rub aside the cry to privatise PSBs. The time has also come to ensure scrutiny of large loans involving the cooperative sector.	factors leading to an increasing incidence of frauds in banks and the measures (including IT interventions) needed to curb and prevent it, and the role and effectiveness of various types of audits conducted in banks in mitigating the incidence of such frauds. 3. In response to Department's request regarding the responsibility for any lapses in implementing RBI's instructions, RBI has apprised that the fraud at PNB has been a failure of all three lines of defence, viz., line functions that assume, own and manage the risk, the risk monitoring function that specialises in overseeing the risk-taking and risk management by the aforementioned line function and provides guidance and support, and the audit function. RBI informed that none of the audit reports brought out the underlying serious deviations and gaps in the processes in vogue since 2011 at PNB's Brady House Branch, and since the circumvention and deviant processes at PNB's Brady House Branch never came on bank's record through its multiple audit mechanisms in place, Directors on the Board of the bank had no means to be aware of these irregularities, given that the Directors are entirely dependent on the information provided by the bank management to the Board through various agenda considered at these meetings. RBI has apprised that in view of certain frauds reported to it in 2016, it had carried out supervisory visits to several banks, focussing on arrangements at banks in managing SWIFT infrastructure. Based on the findings of the visit, RBI issued two circulars — one on 3.8.2016 and the other on 25.11.2016. In addition, a caution advice was sent, in August 2016, to all the banks about similar frauds. RBI has further apprised that in response, vide letter dated 19.8.2016, PNB had confirmed compliance with the RBI's prescriptions in RBI's circular of 3.8.2016, which has turned out to be factually incorrect. RBI's letter also stated that a scrutiny conducted by it of PNB's Brady House Branch after the reporting of the fraud revealed many instances of non-compliance with RBI's instructions, and weak controls surrounding the SWIFT messaging system. RBI stated in conclusion that the compliance lapses on the part of the bank are a result of failures at all the three levels of defence, of the		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			audit machinery (internal audit as well as concurrent audit) as also of bank's Top Management in exercising proper control over the functioning of the bank. There was also a failure of the bank's customary oversight mechanisms at the levels of the Branch, its controlling office and the Head Office, which, in turn, deprived RBI of critical signals of supervisory concern, which could have enabled timely intervention. 4. Taking note of RBI's letter, Department requested CVO, PNB for officers responsible for compliance of RBI instructions and controls relating to SWIFT messaging system at Brady House Branch. PNB informed that an investigation team, headed by a Senior DGM of the bank, had identified erring officials for various alleged lapses, and procedure is being followed to find out actionable lapses to enable the bank with the issuance of charge-sheet against the charged officials. Taking note of RBI's conclusion that the bank's Top Management failed in exercising proper control over the functioning of the bank, and the names of whole-time Directors identified by PNB, this Department sought explanation from all serving whole-time Directors, whether currently serving in PNB or in other PSBs. Further, Government advised its nominee Directors on the Boards of the PSBs concerned to raise in the bank's Board, concerns relating to continued entrustment of functional responsibilities to these whole-time Directors, for appropriate consideration and decision of the Board. After deliberations, the Boards concerned, viz., Allahabad Bank in respect of a former MD & CEO of PNB and PNB in respect of two incumbent Executives of PNB decided to divest them of functional responsibilities. 5. In the meantime, CBI has filed charge-sheets against 11 bank officers for offences under various sections of the Indian Penal Code and the Prevention of Corruption Act, 1988. 6. Pursuant to Government's advice, PSBs have collectively prepared a report for effective management of operational risks,		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			including technology risk, so as to safeguard against occurrence of frauds. Based on the deliberations and best practices in these meetings convened for CTOs/CROs, PSBs have agreed upon certain minimum acceptable standards for risk management and have initiated steps to draw up their plans to implement the same. 7. Instructions have been issued to all the CMDs/MD & CEOs of Public Sector Banks (PSBs) on “Framework for timely detection, reporting, investigation etc. relating to large value bank frauds”, which provides, <i>inter-alia</i> that all accounts exceeding Rs. 50 crore, if classified as Non-Performing Assets, should be examined by banks from the angle of wilful defaulters & possible fraud, if any. 8. In addition to the above, the measures taken to control and prevent frauds in the Banks are as follows: (i) For deterring economic offenders from evading the process of Indian law by remaining outside Indian jurisdiction, Government has introduced the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 to provide for attachment and confiscation fugitive economic offender’s property and has advised PSBs to obtain certified copy of the passport of the promoters/directors and other authorised signatories of companies availing loan facilities of more than Rs. 50 crore. (ii) For enforcement of auditing standards and ensuring the quality of audits, Government has initiated establishment of National Financial Reporting Authority as an independent regulator. (iii) To send a clear message that borrowers cannot wilfully default and continue to enjoy ownership of their assets, wilful defaulters and connected persons have been debarred from participating in the resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			(iv) Launch of Central Fraud Registry (CFR), a web-based searchable database of frauds reported by the banks, containing data for the last 13 years has been made operational by RBI in January 2016. (v) For effective management of operational risks, including technology risk, so as to safeguard against occurrence of frauds, Government has asked PSBs to collectively prepare a report. As follow-up, PSBs have implemented additional layer of approval for all outward SWIFT messages, undertaken direct integration of SWIFT operating environment with Core Banking Solution (CBS) by end-April, restricted time of SWIFT operations, and decided not to permit direct creation of electronic fund transfer messages in CBS and to undertake reconciliation of these on a daily basis. 9. Further, the steps/measures taken to reduce NPAs are as follows: (i) To squarely address the issue of NPAs, asset quality review were initiated in 2015 and stressed assets of banks have been transparently and realistically recognised as NPAs. (ii) To put in place a transparent resolution mechanism, the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has been enacted, which has redefined the debtor-creditor relationship. To enable time bound resolution, RBI has been authorised under law to direct banks to refer cases to NCLT for resolution under IBC, and RBI has mandated reference of a number of high-value stressed assets to NCLT. Cases have been instituted under it in the National Company Law Tribunal (NCLT) in respect of 12 largest defaulters amounting to about Rs.1.72 lakh crore, and subsequently another set of 27 accounts amounting to about Rs.0.97 lakh crore.		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			(iii) To send a clear message that borrowers cannot wilful default and continue to enjoy ownership of their assets, wilful defaulters and connected persons have been debarred from participating in the resolution process. (iv) The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act has been amended to make it more effective. Further, six new Debts Recovery Tribunals have been established to expedite recovery (v) Guidelines issued by RBI in this regard are as follows: a) RBI has issued a revised framework for resolution of stressed assets, which provides for time-bound resolution of high-value stressed accounts. b) Banks have been advised to establish Recovery Cells, fixing of recovery targets and close monitoring of recovery performance. c) The Board of Directors of the bank were advised to review slippages in asset classification in the borrowal accounts with outstanding Rs.5 crore and above and to review top 100 borrowal accounts of below Rs.5 crore in each category of NPA. d) Banks were advised to put in place robust mechanism for early detection of signs of distress and to use such early warning signal to put in place an effective preventive asset quality management framework, including a transparent restructuring mechanism in case of viable accounts for preserving the economic value of such accounts. (vi) RBI has set up the Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) to collect, store and disseminate		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			credit data to lenders. CRILC's main objective is two-fold – (i) early recognition of asset quality problems by reducing information asymmetry and (ii) to help banks to take informed credit decisions. (vii) To strengthen banks weakened by NPAs, unprecedented capitalisation of PSBs has been initiated for which infusion of Rs.70,000 crore was initiated under Indradhanush announced in August 2015, which was augmented through recapitalisation of Rs.2,11,000 crore announced in October 2017 (viii) For enforcement of auditing standards and ensuring the quality of audits, Government has initiated establishment of National Financial Reporting Authority as an independent regulator (ix) To ensure prudential lending, better customer service, enhanced credit availability and better governance, a comprehensive PSB Reforms Agenda has been approved by bank Boards. (x) In addition, under the PSB Reforms Agenda announced by the Government, PSBs have committed to clean and commercially prudent business through Stressed Asset Management Verticals for focussed recovery, rigorous due diligence and appraisal for sanction by scrutinising group balance sheets, at least 10% share in consortium lending, ring-fencing of cash flows, initiating use of technology and analytics for comprehensive due diligence across data sources, building capacity for techno-economic valuation, clean and effective post-sanction follow-up on large-value accounts by tying up with Agencies for Specialised Monitoring, and strict segregation of pre- and post-sanction roles for enhanced accountability.		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			(xi) <u>Commitment to Clean and Responsive Banking:-</u> Government's efforts have been directed at putting in place a clean banking system, in which borrowers can access lending without difficulty, while wilful defaulters and others who seek finance and fail to repay responsibly are held accountable. Government's efforts have thus resulted in; • transparent recognition of NPAs and consequent provisioning by banks, • fundamental change in the debtor-creditor relationship, • a time-bound approach to resolution of stressed assets, • clean lending policies and procedures, • setting of standards for better managing operational risks including technology risks, and strengthening of governance in PSBs. As balance-sheets have been cleaned up with up-front provisioning and capitalisation, the PCR of PSBs which was 52.15% in 2016 has gone up to 61.1% in 2018, indicating the adoption of discipline for making adequate provision for the NPAs. This has been achieved while being compliant with CET-1 capital requirements. As a result of recapitalisation, the ability of banks to support the revival in economic growth has been restored, which is evident from 10.3% growth in advances of Scheduled Commercial Banks on year-on-year basis, as of March 2018.		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
4.	04	In the context of the government's decision to infuse Rs 88,000 crore of fresh capital in Public Sector Banks, while linking it with a set of performance metrics, the Committee note that the banking sector may, require further infusion of capital towards incremental provisioning for advances while transitioning to new IFRS converged accounting standards (Ind AS) along with the volume of NPAs and implementation of Basel III norms, which would thus consume a large portion of the above recapitalisation funds. Further, the proposed SEBI guidelines stipulating the companies to raise funds upto 25% of their requirements in bond markets may further restrict lending by Public Sector Banks (PSBs) to the corporate sector. The Committee desire that the Department of Financial Services should evaluate the implications of this convergence for capitalisation of banks and their future ability to extend requisite credit to various sectors of the economy. The Committee would further suggest that the government should also review the need to comply with these norms, which are not actually legally binding. The Committee believe that a prompt and faster bankruptcy process will also go a long way in strengthening the capital base of PSBs. The figures of credit-deposit (CD) ratio of different banks made available to the Committee presents a sorry picture of lopsided growth and uneven credit disbursal across the country, with the economically backward states/regions, particularly the Eastern and North-Eastern Region clearly lagging behind in availability/extension of bank credit. The Department should clearly address this serious lacuna while formulating their strategies and policy responses for the banking sector, and reiterate that the objectives of nationalisation to develop backward regions is fulfilled.	(Department of Financial Services) With regard to infusion of capital beyond Rs. 88,000 crore infused in Public Sector Banks (PSBs), it is submitted that Union Budget 2018-19 has provision of Rs. 65,000 crore for further capital infusion. In addition, the recapitalisation announced by the Government in October 2017 envisages mobilisation of capital to the extent of Rs. 58,000 crore by PSBs themselves, against which PSBs had mobilised Rs. 8,701 crore till 31.3.2018 and the balance amount of about Rs. 50,000 crore is projected to be mobilised as per prevailing market conditions. There is a need to encourage the bond market and corporates could balance their credit needs both from Banks as well as from Bonds. With regard to implications for banks of the proposed stipulation of companies raising funds up to 25% of their requirement in bond markets, it is submitted that banks maintain large portfolios of securities investments for the purposes of meeting SLR requirements, treasury management and portfolio diversification. With regard to the need to comply with various norms, it is submitted that relevant authorities take decision regarding adoption of various norms after considering advantages from such adoption. RBI decided to adopt the Basel III framework in 2013 with the objective of improving the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress including CET 1 @ 5.5% as against BASEL III norms of 4.5%. The IFRS-converged accounting standards for common financial reporting standards are aimed at reliable, consistent and uniform financial reporting across countries, and India has adopted the approach of 'convergence' with IFRS through Indian Accounting Standards (Ind AS), as against 'total adoption' of IFRS, primarily to have flexibility of prescribing necessary carve-outs in keeping with national regulatory requirements. RBI has not yet implemented IFRS. With regard to prompt and faster bankruptcy process, it is submitted that the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for a timebound resolution process. Realisation of resolution proceeds under this process has begun.	Yes	-

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
5.	05	The Committee note that the optimism set out with regard to disinvestment receipts at Rs.80,000 crore in the Budget lacks fiscal transparency, as the break-up into various components like equity selling, strategic disinvestment and others are not clearly provided. The Committee would like to be informed of the break-up of these components of disinvestment and the specific road-map ahead to mop up the huge estimated receipt, as the Government is banking heavily on receipts from non-tax sources to mobilize resources. In this context, the Committee would also like to caution the Government to refrain from such ambitious targets of disinvestments. Further, such ambitious plans would only lead to laxity in making due diligence in the contemplated sale of stakes in respect of giant and steady PSUs like ONGC and HPCL.	(Department of Investment and Public Asset Management) - The Government is undertaking disinvestment of CPSEs as per the extant disinvestment policy, which, <i>inter alia</i>, envisages: - Listing of profitable CPSEs on stock exchanges to unlock the value of the company, improve efficiency and promote 'people's ownership' by encouraging public participation in CPSEs; - Disinvestment through 'minority stake sale' in listed CPSEs to achieve minimum public shareholding norms of 25 per cent. While pursuing divestment through 'minority stake sale', the Government will retain majority shareholding, i.e. at least 51% and management control of the Public Sector Undertakings; - Strategic disinvestment by way of sale of substantial portion of Government shareholding in identified CPSEs upto 50 per cent or more, along with transfer of management control. - Disinvestment of Government's shareholding through listing and minority stake sale in CPSEs is undertaken to unlock the true value of company, promote public ownership and higher degree of accountability. In case of strategic disinvestment of CPSEs, it is expected that the strategic buyer will bring in funds/technology/new management etc. for the optimum development of business potential and growth of the companies. - The Government adopts any of the permissible methods of disinvestment as per the extant policy, acts, rules and regulations applicable for divesting its shareholding in CPSEs. Actual disinvestment depends on a number of factors including the market conditions and investors' appetite. Based on these factors, only mature proposals in any of the above categories (initial offering, minority stake sale or strategic disinvestment) are taken up for transaction to achieve the annual disinvestment targets. Hence, it may not be possible to project the realisation from different methods of disinvestment.	Government's position is explained in Column 4.	-

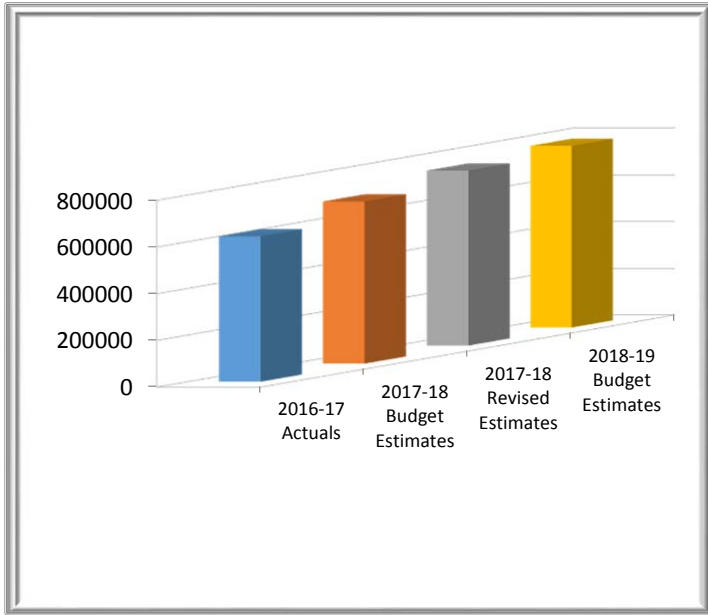
S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			4. The entire process for CPSEs' disinvestment is operated in an environment which cannot be predicted. As per the policy and commitment, the Government looks for right opportunity for disinvestment transactions and moves ahead in a prudent manner.		
6.	06	The Committee believe that there is an urgent need to highlight the need for insurance among the masses and provide innovative, customised products and to spread awareness and increase insurance penetration in a big way. Even though about 25 to 30 crore people in the country had life cover in the country, the sum assured was way below the needs. While life insurance penetration in the country is at 3.49%, that of general insurance is less than 1%. The Committee note that Government schemes such as PM's Jeevan Jyothi Bima Yojana, Suraksha Bima Yojana, Fasal Bima Yojana and the recently announced National Health Insurance Scheme have no doubt brought insurance to the forefront of national policy making, but these schemes have to be appropriately devised, dovetailed and adequately funded so that the benefits reach the intended beneficiaries while the premium rates remain nominal. It should be ensured that the insurance companies, particularly those in the private sector adhere to their commitments strictly with regard to both cash-less aspect of health insurance as well as settlement of claims.	(Department of Financial Services) 1. <u>Social Security Schemes - From Jan Dhan to Jan Suraksha:</u> For creating a universal social security system for all Indians, especially the poor and the under-privileged the Hon'ble Prime Minister launched three Social Security Schemes in the Insurance and Pension sectors; namely the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and the Atal Pension Yojana on Pan India basis on the 9th of May, 2015. Salient features of the two schemes related to Insurance are given below: I. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) – The scheme is available to people in the age group of 18 to 50 years having a bank account who give their consent to join / enable auto-debit. Aadhaar would be the primary KYC for the bank account. The life cover of Rs.2 lakhs is available for a one year period stretching from 1st June to 31st May and is renewable. Risk coverage under this scheme is for Rs.2 Lakh in case of death of the insured, due to any reason. The premium is Rs.330 per annum which is to be auto-debited in one installment from the subscriber's bank account as per the option given by him on or before 31st May of each annual coverage period under the scheme. The scheme is being offered by Life Insurance Corporation and all other life insurers who are offering the product on similar terms with necessary approvals and tie up with banks for this purpose. II. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)– The Scheme is available to people in the age group 18 to 70 years with a bank account who give their consent to join / enable auto-debit on or before 31st May for the coverage period	Yes	-

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)																																	
1	2	3	4	5	6																																	
			1st June to 31st May on an annual renewal basis. Aadhaar would be the primary KYC for the bank account. The risk coverage under the scheme is Rs.2 lakh for accidental death and full disability and Rs.1 lakh for partial disability. The premium of Rs.12 per annum is to be deducted from the account holder's bank account through 'auto-debit' facility in one instalment. The scheme is being offered by Public Sector General Insurance Companies or any other General Insurance Company who is offering the product on similar terms with necessary approvals and tie up with banks for this purpose. Achievements - The Achievements of PMJJBY and PMSBY as on 4th July, 2018 is given at table below:- <table><tr><th colspan="3">JANSURAKSHA PROGRESS AS ON 04/07/2018</th></tr><tr><th colspan="3"><i>Gross Enrolments Reported by Banks subject to verification of Eligibility of Applicants as per Rules and Availability of Funds etc.</i></th></tr><tr><th colspan="3">Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)</th></tr><tr><th>Enrolments (In crores)</th><th>No. Of Claims Paid</th><th>Amount disbursed (In crores)</th></tr><tr><td>5.38</td><td>97,720</td><td>1954.40</td></tr><tr><td colspan="3">Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)</td></tr><tr><th>Enrolments (In crores)</th><th>No. Of Claims Paid</th><th>Amount disbursed (In crores)</th></tr><tr><td>13.62</td><td>17,801</td><td>356.02</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL (PMJJBY + PMSBY)</td></tr><tr><th>Enrolments (In crores)</th><th>No. Of Claims Paid</th><th>Amount disbursed (In crores)</th></tr><tr><td>19.00</td><td>1,15,521</td><td>2310.42</td></tr></table>	JANSURAKSHA PROGRESS AS ON 04/07/2018			<i>Gross Enrolments Reported by Banks subject to verification of Eligibility of Applicants as per Rules and Availability of Funds etc.</i>			Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)			Enrolments (In crores)	No. Of Claims Paid	Amount disbursed (In crores)	5.38	97,720	1954.40	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)			Enrolments (In crores)	No. Of Claims Paid	Amount disbursed (In crores)	13.62	17,801	356.02	TOTAL (PMJJBY + PMSBY)			Enrolments (In crores)	No. Of Claims Paid	Amount disbursed (In crores)	19.00	1,15,521	2310.42		
JANSURAKSHA PROGRESS AS ON 04/07/2018																																						
<i>Gross Enrolments Reported by Banks subject to verification of Eligibility of Applicants as per Rules and Availability of Funds etc.</i>																																						
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)																																						
Enrolments (In crores)	No. Of Claims Paid	Amount disbursed (In crores)																																				
5.38	97,720	1954.40																																				
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)																																						
Enrolments (In crores)	No. Of Claims Paid	Amount disbursed (In crores)																																				
13.62	17,801	356.02																																				
TOTAL (PMJJBY + PMSBY)																																						
Enrolments (In crores)	No. Of Claims Paid	Amount disbursed (In crores)																																				
19.00	1,15,521	2310.42																																				

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<u>2. Steps taken to increase coverage of insurance inter-alia included:</u> a) Consumer education measures are taken through consumer education website www.policyholder.gov.in. This website highlights various aspects of insurance in an easy to understand way. b) 'Bima Bemisal' campaign has been run by IRDAI over a period of last few years. It has been a sustained campaign to make people aware about the importance of insurance and to keep the policies in-force. c) The IRDAI has also released Radio jingles in various languages to educate the consumers on importance of insurance and to prevent mis-selling. d) IRDAI has introduced a new channel of distribution i.e. Insurance Marketing Firms through IRDA (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015. This is to increase the penetration of insurance through intermediaries handling products of more than one insurer. <u>3. Health Insurance with regard to both cashless aspect as well as settlement of claims:</u> a) As per Guidelines on Product Filing in Health Insurance Business Ref: IRDA/HLT/REG/CIR/150 /07/2016 dated 29th July, 2016, Insurance products offered by insurers for schemes sponsored by the State and Central Governments, shall adhere to the conditions of the scheme as laid down by the Government. b) Government Schemes are filed with IRDAI after award of the tender, under Use & File Procedure prescribed under the aforementioned Guidelines. c) Cashless facility is offered as per the terms and conditions of the MoU and Claim settlement is done within the		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			time frame specified in the MoU. Generally, the MoU also specifies the liquidated damages for breach of contractual obligations. d) IRDAI notified IRDAI (Health Insurance) Regulations 2016 (herein after called HIR 2016) on 18th July 2016 which are applicable to all registered Life Insurers, General Insurers and Health insurers, conducting health insurance business, as defined under the Insurance Act 1938, unless otherwise specified. These Regulations shall also be applicable to all TPAs wherever mentioned. e) Regulation 27(i) of HIR 2016 inter alia specifies that “An insurer shall settle or reject a claim, as may be the case, within thirty days of the receipt of the last ‘necessary’ document”. f) Regulation 30 of HIR 2016 also specify as follows: i). Subject to the terms of a policy, General Insurers and Health insurers shall extend to all policyholders a cashless facility for treatment at specific establishments or the reimbursement of the costs of medical and health treatments or services availed at any medical establishment. ii). Cashless facility shall be offered only at establishments which have entered into an Agreement with the insurer to extend such services. Such establishments will be termed as Network Providers.		
7.	07	In this context, the Committee would like to point out that it is also necessary to expand and improve primary public health care and services in a major way, as the private hospitals and nursing homes may not be in a position to fulfill the burgeoning health care requirements. For this purpose, the budgetary allocations for public health has to be substantially increased and sustained, as the present pattern of budgetary allocation (RE 2017-18 Rs.83,460.80 crores reduced to Rs.77,069.85 crores in BE 2018-19) is	(Department of Economic Affairs) The amount in RE 2017-18 vis-à-vis BE 2018-19 appears it includes recoveries to the tune of Rs. 31,909.95 crore. These recoveries, amounting to approx. Rs. 28,000 crore are from the National Investment Fund (NIF), compared to BE 2017-18, it may be mentioned that the allocation increased from Rs. 50,542 crore to 83,461 crore. Net of recoveries (from NIF and others) there has been an increase in BE 2018-19 allocation from Rs. 51,550 crore in RE 2017-18 to Rs. 52,800 crore in BE 2018-19. Under RE 2017-18 the net recoveries from National Investment	Accepted	-

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		grossly insufficient to make any impact. Even for the proposed flagship National Health Insurance Scheme, no corresponding allocations have been made in the Budget.	fund is approximately Rs.7000 crore more as compared to BE 2018-19. As regards allocation for the newly announce “National Health Insurance Scheme” the necessary allocation would be made in the forthcoming supplementary Demands/RE meetings as soon as necessary approval, expenditure schedule etc. is in place. (Department of Expenditure) Government have raised the overall allocation for Health & Family Welfare from 53294.24 crore (RE in Budget 2017-18) to 54600 (BE in 2018-19) which represents an increase of 2.45 % The Cabinet has on 21st March, 2018 approved the Centrally Sponsored Scheme ‘National Health Protection Scheme’ with a total financial outlay (Central Share) of Rs. 10498 crores over the years 2018-19 and 2019-20. The year wise financial outlays (Central Share) is Central Share for the year 2018-19 Rs. 3135 cr and for the year 2019-20 Rs. 7363 cr which totals to Rs. 10498 cr. During the first year, i.e., 2018-19, enrolment under the scheme is expected to gradually pick up from the second half onwards and provision for funds has been made accordingly. However, depending on the pack of the scheme, adequate funds will be provided to the Ministry of Health & Family Welfare in the Revised Estimates, if required	Accepted	During the first year, i.e., 2018-19, enrolment under the scheme is expected to gradually pick up from the second half onwards and provision for funds has been made accordingly. However, depending on the pack of the scheme, adequate funds will be provided to the Ministry of Health & Family Welfare in the Revised Estimates, if required

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)																									
1	2	3	4	5	6																									
8.	08	The Committee note that although there has been a 12% rise in capital investment in 2018, it is against the lower base of capital outlay in 2017, which had actually dipped vis-a-vis the previous year i.e. 2016. Thus, essentially there is no growth in absolute numbers in the capital outlay for 2018. This is made worse when one considers the fact that gross capital formation in the economy has been declining. For 2017-18, it was 26.4%, down from 30.8% in 2016-17 and 34.7% in 2013-14. This is a worrying trend, as fixed capital formation accounts for 70% of the total capital spend. Further, according to a CMIE study, implementation of 36 projects was stalled during the quarter ended September 2017 envisaging an investment of Rs 503 billion. The Committee also note that under the new fiscal architecture, capital expenditure may not enjoy the requisite pre-eminence. To compound matters further, there is also no sign yet of revival of private investment. The Committee are thus concerned as to how the government would revive both public as well as private investment in the economy against this scenario, which the budget does not seem to have addressed in a coherent way. It appears that the government is depending on the public sector undertakings to raise resources directly from the market and also extra-budgetary sources for various capital expenditure. In the Committee's view, there is a need to have a long-term strategy and policy for	(Department of Economic Affairs) Capital Expenditure of the Government (in Rs. crore) <table><tr><td></td><td>2016-17 Actuals</td><td>2017-18 Budget Estimates</td><td>2017-18 Revised Estimates</td><td>2018-19 Budget Estimates</td></tr><tr><td>Gross Budgetary Support</td><td>284609</td><td>309801</td><td>273445</td><td>300441</td></tr><tr><td>Ministry of Railways (IEBR)</td><td>64703</td><td>76000</td><td>80000</td><td>93440</td></tr><tr><td>IEBR (excluding M/o Railways)</td><td>273394</td><td>309027</td><td>396859</td><td>384831</td></tr><tr><td>Total</td><td>622706</td><td>694828</td><td>750304</td><td>778712</td></tr></table> 		2016-17 Actuals	2017-18 Budget Estimates	2017-18 Revised Estimates	2018-19 Budget Estimates	Gross Budgetary Support	284609	309801	273445	300441	Ministry of Railways (IEBR)	64703	76000	80000	93440	IEBR (excluding M/o Railways)	273394	309027	396859	384831	Total	622706	694828	750304	778712	Accepted	-
	2016-17 Actuals	2017-18 Budget Estimates	2017-18 Revised Estimates	2018-19 Budget Estimates																										
Gross Budgetary Support	284609	309801	273445	300441																										
Ministry of Railways (IEBR)	64703	76000	80000	93440																										
IEBR (excluding M/o Railways)	273394	309027	396859	384831																										
Total	622706	694828	750304	778712																										

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		sustainable financial management, while budgeting for large-scale capital investment. This will also go a long way in providing gainful employment to our young population. They, therefore, desire that necessary fiscal and financial incentives be provided in strategic sectors so that capital investments come forth in a big way.	As may be seen from the table there has been marginal growth in Capital Expenditure. There is a reduction of Rs. 36356 crore in capital expenditure of Gross Budgetary support from BE 2017-18 to RE 2017-18. This is largely due to reduction in budget support provided to Railways from Rs. 55000 crore in BE 2017-18 to Rs. 40000 crore in RE 2017-18 for meeting its capital expenditure. However, this is offset by marginal enhancement in market borrowing of Indian Railway Finance Corporation from Rs. 40000 crore in BE 2017-18 to Rs. 45100 crore in RE 2017-18 to finance the rolling stock requirement of Railways.		
9.	09	The Committee note that the Fiscal deficit has been budgeted at 3.3% of GDP in 2018-19, although it exceeded the BE in 2017-18 substantially, with the RE in 2017-18 increasing to 3.5%, as the government had to resort to additional borrowings to meet their expenditure. One can expect a similar situation to develop in 2018-19 as well with uncertain revenue buoyancy. In such a scenario, the Committee are at a loss as to understand how the additional resources will be available to meet the expenditure for flagship schemes and programmes announced such as the National Health Protection Scheme (with approx. 50 crore beneficiaries and insurance coverage of up to 5 lakh rupees per family per year). The Committee may, therefore, be apprised of the funding details of the schemes and the manner of mobilisation of resources therefor.	(Department of Economic Affairs) The primary reason for exceeding the Fiscal Deficit target in RE 2017-18 was the spill over effect of GST (on to the FY 2018-19). This is a one off occurrence due to migration to a new indirect tax code and is not expected to impact the Fiscal Deficit in forthcoming years. As mentioned in the Medium Term Fiscal Policy Statement 2018-19, the government is committed towards fiscal sustainability and maintaining fiscal discipline. As indicated in the reply of Para 7 above, the exact funding details of the National Health Protection Scheme were not finalized at the time of presentation of Budget. The funding details of the schemes such as NHPS are being finalized by the respective Ministries. An initial allocation under the Rashtriya Swasthya Bima Yojna for Rs. 2,000 crores has been provided in the BE 2018-19. The Government is, however, committed towards following the	Accepted	-

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			path of fiscal rectitude as mentioned in the FRBM Statements laid in the Parliament. The expenditure and revenue targets of the Government shall be in consonance with the goals of the fiscal roadmap presented therein. (Department of Expenditure) The Cabinet has on 21st March, 2018 approved the Centrally Sponsored Scheme 'National Health Protection Scheme' with a total financial outlay (Central Share) of Rs. 10498 crores over the years 2018-19 and 2019-20. The year wise financial outlays (Central Share) is for the year 2018-19 Rs. 3135 cr and for the year 2019-20 Rs.7363 cr and total is Rs.10498 cr. During the first year, i.e., 2018-19, enrolment under the scheme is expected to gradually pick up from the second half onwards and provision for funds has been made accordingly. However, depending on the pack of the scheme, adequate funds will be provided to the Ministry of Health & Family Welfare in Revised Estimates, if required.	Accepted	During the first year, i.e., 2018-19, enrolment under the scheme is expected to gradually pick up from the second half onwards and provision for funds has been made accordingly. However, depending on the pack of the scheme, adequate funds will be provided to the Ministry of Health & Family Welfare in the Revised Estimates, if required

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
10.	10	The Central Road Fund (CRF) has been administered and well utilised so far by the Ministry of Road Transport and Highways for 17 years. The Committee note that from the next fiscal, this fund is proposed to be transferred to the jurisdiction and control of Ministry of Finance. The Committee are not convinced as to the reasons behind bringing the Central Road Fund (CRF) under the jurisdiction of Ministry of Finance from the control of respective infrastructure Ministry. The Committee would, therefore, recommend that infrastructure funds such as this should naturally remain within the control and jurisdiction of the respective Ministry/Department dealing with the subject for more efficient implementation and effective monitoring thereof.	(Department of Economic Affairs) The Central Road Fund Act, 2000 was enacted by the Parliament for levy of additional duties of customs and central excise on high speed diesel oil and motor spirit (known as petrol) and distribution of the collection of levies on designated schemes/projects such as development and maintenance of national highways, rural roads, state roads of inter-state and economic importance, railway safety works, including new lines, conversion of standard lines into gauge lines and electrification of railway lines and roads in border areas. This Act empowers Central Government to levy and collect additional duties and distribute them through Central Road Fund, which is the primary function of Ministry of Finance. 2. Further, as the proceeds from additional levies on diesel and petrol are not utilised to the full extent of realisation due to slow pace of expenditure and poor absorptive capacities of limited number of administrative Ministries/Departments, there have been observations from Audit that the proceeds are not utilised in full. 3. To mitigate this situation, it has been felt necessary to enlarge the scope of application of the proceeds realised from additional levies on petrol/diesel. Accordingly, the name of the existing fund viz. 'Central Road Fund' has been amended to read as 'Central Road and Infrastructure Fund'. Simultaneously, the scope of application of funds has also been enlarged to include infrastructure projects in sectors such as Energy, Water and Sanitation, Communication, Social and Commercial Infrastructure, besides existing Transport sector projects. This is expected to improve application/utilisation of funds in full of the proceeds collected from the additional levies. (Department of Expenditure) The Central Road Fund Act, 2000 has been replaced by "Central Road and Infrastructure Fund" (CRIF) through Finance Act, 2018 inter-alia to allocate funds for various infrastructure sectors such as Transport (Road and Bridges, Ports, Shipyards, Inland Waterways, Airports, Railways, Urban Public Transport), Energy, Water and Sanitation, Communication, Social and Commercial Infrastructure.	Accepted Major amendments have been effected in the CRF Act, 2000 through the Finance Act, 2018. Further, as per	-

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
				these amendments the share of fund to be apportioned to each of infrastructure projects shall be finalized by a Committee headed by the Hon'ble Finance Minister, constituted by the Central Government by notification published in the Official Gazette. Hon'ble Minister (RT&H) had inter-alia requested Hon'ble Finance Minister vide D.O. letter No.RW/H-11011/02/2018-W&A, dated 13.02.2018 that the Ministry of Finance may take up the responsibility of administering the CRF Act, 2000 for administrative convenience/ease. Therefore, Ministry of Finance may consider not to accept the recommendations of the Committee.	

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
11.	11	The Committee are of the view that the figures of retail inflation being relied upon may be understated because services sector inflation may not be adequately captured. It is worth noting in this regard that the RBI shifted focus from wholesale prices to consumer prices for determining its monetary policy not merely because it would reflect the ground situation, but also because the wholesale price index did not include services in its basket. However, even in the Consumer Price Index (CPI), the rising cost of education, healthcare, transportation, among others, are not fully reflected. The Committee believe that items of expenditure like medical, education and transport, largely owing to their privatised nature and the widening supply-demand gap, may be rising disproportionately higher than what could be captured in the CPI. Accurate data on services inflation is thus crucial for understanding relative price movements, particularly since the services sector accounts for over half the GDP. Sectoral regulators also need better data on prices, production and quality of services to act in the consumer's interest. The Committee would therefore strongly press for a separate and distinct index namely, Business Service Price Index, which will accurately factor in and reflect the rising costs of different services in the economy, enabling the government to tailor their policy responses accordingly. The Committee would expect early action in this matter.	(Department of Economic Affairs) Action taken is enclosed in Annexure-A.	Accepted	-

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
12.	12	RBI had deregulated interest rate on Savings Bank (SB) accounts with banks a few years ago. Surprisingly, none of the Public Sector Banks is paying more than 4% per annum on such accounts. Although these deposits are the least cost-bearing deposits with banks, still very few banks appear to have followed the deregulation in letter and spirit. The Committee would therefore recommend that the savings banks accounts interest rate should be linked to a base rate or index, while offering a slightly higher rate on such accounts at least to the senior citizens. The Committee would also recommend that all scheduled banks including the public sector banks should offer at least one percentage higher interest than normal rate on the term deposits of senior citizens in keeping with the spirit of the senior citizens-friendly announcements made in the Budget. Accordingly, the special senior citizen scheme, offering a higher rate of senior citizens, presently operated only by SBI should be implemented by all Public Sector Banks forthwith. The ATM and MDR charges levied by banks should also be reduced/waived.	(Department of Financial Services) As per RBI, as regards linking of savings bank accounts to the base or index, it may be mentioned that interest rates on savings bank account have been deregulated with effect from October 25, 2011 and banks have been given the freedom to fix their interest rates on savings bank account subject to the conditions contained in Master Direction - Reserve Bank of India (Interest Rate on Deposits) Directions, 2016 issued vide DBR.Dir.No.84/13.03.00/2015-16 dated March 3, 2016. As regards suggestion regarding offering one percentage higher interest than the normal rate of interest on the term deposits of senior citizens, it may be stated that with effect from October 22, 1997, the commercial banks have been given freedom to fix their own interest rates on domestic term deposits of various maturities with the prior approval of their respective Board of Directors subject to the instructions contained in above Master Direction (MD) dated March 3, 2016. Further, in terms of Section 8(b) of this MD, Scheduled Commercial Banks have the option to formulate term deposit schemes specifically for resident Indian senior citizens, offering higher and fixed rates of interest as compared to normal deposits of any size. In view of the above, the decision to offer higher interest to senior citizens for term deposits is within domain of individual banks. As regards Senior citizens, Government has launched a scheme namely 'Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana' to protect elderly persons aged 60 years and above against a future fall in their interest income due to the uncertain market condition, as also to provide social security during old age. The scheme is being implemented through Life Insurance Corporation (LIC) of India. The scheme provides an assured return of 8% per annum payable monthly for 10 years. The differential return i.e. the difference between return generated by LIC and the assured return of 8% per annum would be borne by Government of India as subsidy on annual basis. The scheme was open for subscription for a period of one year i.e. from 4th May, 2017 to 3rd May, 2018. The	Yes	-

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			minimum purchase price under the scheme was Rs.1.5 lakh per family for a minimum pension of Rs.1,000/- per month and the maximum purchase price was Rs.7.5 lakh per family for a maximum pension of Rs.5,000/- per month. In pursuance to Budget Announcement 2018-19, Cabinet at its Meeting held on 02nd May, 2018 has approved the extension of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana up to 31st March, 2020 and limit of maximum purchase price of Rs.7.5 lakh per family under the scheme has also been enhanced to Rs.15 lakh per senior citizen. A total of number of 2,82,155 subscribers consisting corpus of Rs.17,704.65 crore are being benefited under PMVVY as on 30.06.2018.		
13.	13	In this context, the Committee also desire that instead of wooing small savers into equities, the government should explore the bond route to channel household savings for economic development. The PSUs can thus be permitted and encouraged to opt for retail bond issues to meet their large capital needs. The government and the RBI should also promote direct retail participation in the primary and secondary market for government securities. Ideally, retail investors should be able to transact in government securities through the same on-line trading platforms they use to bid electronically for public issues. Such a facility will provide a safe channel for retail investors to get reasonable returns without the risks associated with stock markets.	(Budget Division, Department of Economic Affairs) While the suggestion is praise-worthy, it is observed that already a lot of measures have been provided to strengthen the G-Secs market. A few of such measures are enumerated as under:- (i) The Primary Dealers have been mandated to achieve a target of at least 5% of their total turnover through retail market activities. (ii) Retail investors can directly trade in G-Secs through the internet based NDS-OM-Web application. Alternatively they can place their demand for G-Secs through the banks/PDs through email/letter/fax, etc. (iii) There is already provision of non-competitive bidding (retail participation route) in the G-Secs auctions where at least 5% of the notified amount is reserved for small retail clients and the securities are allotted at weighted average price to handhold them from aggressive cut off rates by big players. (iv) Stock exchanges act as aggregators and place consolidated bid on behalf of the retail investors.	Accepted	-

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			(v) RBI conducts capacity building programmes for deepening awareness about the G-Sec markets especially targeted at small and retail clients. (vi) The Primary Dealers, banks, Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative banks are encouraged to push the G-Secs through their branch network. (vii) Most of the Primary Dealers market G-Secs by regularly organizing camps to educate customers about G-Secs. (viii) Many banks offer demat/Gilt account facility generally free/very concessional rates for the first/initial few years to encourage participation of retail clients in G-Secs. (ix) IDBI bank has an online platform called SUVIDHA for retail market participants in G-Secs. (x) PDs are mandated to do market making in G-Secs to enable availability of 2 ways rates (buy as well as sell) in G-Secs so that interest retail clients have ready secondary market for their buy or sell requirements. The market participants have been suggesting that tax breaks be given to encourage retail market participation, and the same was also reiterated by the Primary Dealers in the recent meeting held in March 2018, however it is felt that acceptance of this demand is likely to distort the market. Moreover, it is stated this demand of the market participants has not been accepted till now. Incidentally, it is submitted that in the recently passed Union Budget for FY 2018-19, GoI has provided for Long term capital gains for holdings in the equity market which were exempted earlier. In view of all the above, it is for consideration if any additional measures are required to further encourage retail participation in the G-Sec markets.		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			(FM Division, Department of Economic Affairs) Government of India in coordination with the regulators have been taking concerted steps to develop the corporate bond market in India. The Financial Stability and Development Council sub-committee in its meeting held on September 10, 2015 constituted a working group under the chairmanship of former Deputy Governor of Reserve Bank of India (RBI) [Shri H.R. Khan] with representation from the Government and other regulators to study and suggest ways to strengthen corporate Bond market in India. The working group on Development of corporate bonds market have made a number of recommendations, most of which have been implemented. These include standardization of corporate bond issuance; allowing investment by Foreign Portfolio Investors (FPIs) in unlisted debt securities and making mandatory issuance of private placement of debt securities worth Rs 500 crore or more through Electronic Book Mechanism; implementing trade repository for corporate bond; permitting market makers to undertake repo / reverse repo contracts in corporate debt securities; allowing investment in Basel III compliant perpetual bonds & in “Additional Tier 1 (Basel III compliant) Perpetual Bonds”; credit enhancements of bonds by increasing the aggregate exposure limit from the banking system to 50% of the bond issue size; framework for market making in corporate bonds; launch of Corporate bond index, reviewing the penalty structure in place for default in delivery of debt securities/funds for trades, subject to CCP clearing by the clearing houses of the stock exchanges; providing provisions pertaining to consolidation and re-issuance and ISIN restriction on debt securities; reduction of capital requirement for banks on account of Partial Credit Enhancement (PCE), etc. Hon’ble Finance Minister in his Budget Speech 2016-17 had announced for improving retail participation in Government securities, RBI to facilitate their participation in primary and secondary markets through stock exchanges and access to NDS-OM trading platform.	Accepted	-

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			To implement the same, Non-competitive bidding facility to retail investors in primary auction through specified stock exchanges acting as aggregators/facilitators has been permitted vide RBI's circular dated 23.11.2017. Accordingly, stock exchanges desirous of offering this facility can approach RBI for obtaining specific approval in this regard after getting a No-Objection Certificate (NOC) from SEBI. RBI has granted approval to NSE and BSE for offering this facility. Retail participation in Secondary Market has been facilitated vide RBI's circular dated 28.07.2016 Further, Hon'ble Finance Minister in his Budget Speech 2018-19 has announced that the Government introduced Exchange Traded Fund Bharat-22 to raise Rs. 14,500 crore, which was over-subscribed in all segments. Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) will come up with more ETF offers including debt ETF. DIPAM vide its Office Memorandum dated 23.07.2018 has conveyed that after successful launch of New Fund Offer (NFO) of Bharat 22 ETF, Government of India launched Further Fund Offer between 20.06.2018 and 22.06.2018 and realized an amount of Rs 8,325.26 crore. As regards progress on debt ETF, it may be stated that DIPAM is exploring the possibility of creation and launch of Debt ETF. In this regard, "Hon'ble Finance Minister has approved appointment of one Advisor, One Market Maker and one Legal Advisor for creation, launch and implementation of debt ETF. Inter-Ministerial Group (IMG), in its meeting on 13.07.2018 has approved and recommended the name of an Advisor for creation and launch of debt ETF for approval of competent authority". After appointment of Advisor, steps will be taken in consultation with Advisor to float RFP for Market Maker and Legal Advisor with the approval of IMG.		

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
14.	14	The Committee note that usually Outcome Budget is presented to Parliament separately for each Ministry/Department. However, last year and this year, the outcome Budget has been presented as a single document in a consolidated manner along with the General Budget. This has resulted in this important document becoming rather sketchy for each Ministry/Department without necessary details indicating the year-wise progress in implementation of various schemes/projects. It also does not give the year wise comparisons of performance, targets and achievements of the money spent/utilised/not utilised etc. for last 3 years. It only provides the name of the scheme, funds ear-marked, the purpose and the projections for next year. However, whether the money spent last year for a purpose has been spent and has actually achieved the objectives is not reflected. The Committee thus find that the outcome Budget so presented neither serves the intended purpose nor is transparent in so far as performance of the Government is concerned. The Committee would therefore recommend that the earlier practice of presenting the outcome Budget separately for each Ministry/Department along with the respective Detailed Demands for Grants may be restored for better appreciation of the implementation of various governmental schemes and projects.	(Department of Expenditure) As a measure of structural reforms from Budget 2017-18 onwards, the outlay, outputs and outcomes are presented to the Parliament in measurable terms, bringing-in greater accountability for the agencies involved in the execution of Government schemes and projects. The single document of Outcome Budget presented along with the Budget Documents at one place gives an overview of all the important Government schemes in a consolidated manner including the financial outlays, the outputs of the immediate year and outcomes for medium term. NITI Aayog is already working out a detailed Output and Outcome Framework of Indicators in consultation with DoE/ other Ministries/ Departments which will go a long way in monitoring outputs/outcomes of schemes on a continuous basis.	Not accepted by the Government as this structural reform is perceived to bring a result oriented approach coupled with convergence between all schemes in terms of outputs and outcomes and may bring focused attention on outputs and outcomes.	This is an ongoing activity. Output-Outcome Framework will be improved on a year to year basis on the feedback received from different stakeholders.

S. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
15.	15	Keeping in view the proposed model of development of 115 backward districts, the Committee desire that they should be apprised of the details of this development model / parameters and mode of funding of the identified 115 backward districts in the country as also the Sansad Aadarsh Gram Yojana (SAGY).	(Department of Expenditure) The Government is adopting a focused approach, ensuring convergence of efforts of the Central, State and local Government including innovation and establish a real time monitoring mechanism to focus on outcomes that matter to common people in these districts. The core strategy adopted is evidence based decision making and competition among districts, addressing negativity by making development a mass movement, identification of champions of change at district and regional level and facilitate them to make development a mass movement and convergence on initiatives of the Central and State Governments. The programme focuses on five main themes with 49 key performance indicators and identifiable 81 data points. These are Health and Nutrition with 30% weight and 31 data points, Education with 30% weight and 14 data points, Agriculture and water resources with 20% weight and 12 data points, financial inclusion and Skill Development with 10% weight and 18 data points, and Basic Infrastructure with 10% weight and 6 data points. Ranking among the aspirational districts based on their achievements on these five themes is being made. A dashboard has been designed to monitor competition among districts which will rank the districts in dynamic manner and reflects the incremental (Delta) improvements made on a month to month basis to spur a sense of competition among dynamic team in districts. The programme also includes 3rd party validation as there is a need for 3rd party validation, Data validation with regard to outputs and encouragement of validation agencies and incentivizing districts on the basis of their ranks. NITI Aayog is working out a strategy to provide same additional allocation to these districts as untied fund on the basis of ranks on a graded basis.	Yes, the Government will appraise the Standing Committee on Finance of the details of this development model and mode of funding.	The development of aspirational districts is based on having a focused approach and establishing convergence and synergy between various schemes and various agencies and also by establishing a real time mechanism to focus on outputs and outcomes achieved.

Table 1: Updated status of Experimental Business Service Price Index (BSPI):

Serial No.	Sectors	Updated Status
1.	Air Transport Service	- Experimental Air Service Price Index (ASPI) consisting of passenger and freight services with 2010-11 as base year had been compiled for the period April 2011 to March 2016. - Experimental ASPI with 2015-16 as revised base year has been compiled and published from April 2016 till March 2018.
2.	Railway Service	- Experimental Railway Service Price Index (RSPI) with 2004-05 as base year has been compiled from April 2005 to June 2017. - Experimental RSPI with new base year 2011-12 for the period from April 2012 to February 2017 has been subsequently compiled and uploaded in the website of Office of the Economic Adviser (OEA). - Railway Board, Ministry of Railways, is in the process of updating the RSPI.
3.	Postal	- Experimental Postal Service Price Index with 2004-05 as base year from April 2005 to June 2017 has been compiled and uploaded in Office of Economic Adviser (OEA)'s website. - Department of Posts is in process of updating the base year of the index, along with new product basket and weighting diagram.
4.	Banking Service	- Reserve Bank of India (RBI) has compiled Banking Service Price Index (BkSPI) with base year 2004-05 from April 2005 to May 2017. - RBI is in process of compiling new Banking Service Price Index based on 2011-12 as base year, with new item basket and weighting diagram.
5.	Telecom (Cellular)	- Experimental Telecom Service Price Index with 2009-10 as base year has been compiled from QE June 2010 to QE December 2016. - In view of the technological changes in the sector, the index is being refined and the item basket and weighting diagram of the index are being revised in consultation with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) with 2015-16 as base year.
6.	Insurance Service	- An Experimental Insurance Service Price Index with 2011-12 as base year has been compiled from QE June 2012 to QE September 2016. - In view of high volatility in the estimates of the index, the index is being refined in consultation with Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Department of Financial Services (DFS) and Central Statistics Office (CSO).
7.	Trade Service	- Experimental Trade Service Price Index with 2011 as base year has been compiled using data from the MCA-21 of Ministry of Corporate Affairs for the period 2010 to 2015. - Due to very volatile nature of the data, ways and means of using GSTN data to construct the index is being explored.
8.	Road Transport (Freight)	Given the unorganized and fragmented nature of the service providers in this sector, it is proposed to use data from Goods & Services Tax Network (GSTN) for building this experimental index once the GSTN data has stabilized.
9.	Port Service	Ministry of Shipping is in process of developing Experimental Port Service Price Index with data from the 12 Major ports and 19 Non-Major ports.
10.	Business Service	It is proposed to develop experimental Information Technology Service Price Index in consultation with Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY) and its subordinate organisations.